सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2019–20

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2019–20

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
चौथी मंजिल, एन.सीयू.आई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

विषय सूची

अध्याय	विवरण		पृष्ठ संख्या
I	सिंहावलोकन		1
	1.1	प्राधिकरण की स्थापना और निगमन	1
	1.2	प्राधिकरण का गठन	1
	1.3	संगठन	2
	1.4	लक्ष्य दूरदृष्टि और उद्देश्य	2
	1.5	परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता	3
	1.6	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	3
	1.7	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	4
	1.8	परक्राम्य भांडागार रसीद	4
	1.9	परक्राम्य भांडागार रसीदों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है:–	4
	1.10	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर)	4
	1.11	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ	5
	1.12	इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के लाभ	5
	1.13	प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	6
	1.14	प्राधिकरण की बैठक	6
	1.15	भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी) की बैठक	6
	1.16	प्राधिकरण की वैबसाइट	6
	1.17	विज्ञापन एवं प्रचार	6
	1.18	प्रशिक्षण, आउटरीच तथा जागरूकता कार्यक्रम	7
II	कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा।		8
	2.1	खाद्यान्नों का उत्पादन	8
	2.2	अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन	9
	2.3	कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	10
	2.4	केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	12
	2.5	गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद	12
	2.6	दालों तथा तिलहनों की खरीद	12
	2.6.1	मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)	12
	2.6.2	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)	14
	2.6.3	निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)	14
	2.7	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	14
	2.8	भंडारण क्षमता में वृद्धि	15

	2.8.1	कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई)	15
	2.8.2	निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008	17
	2.9	सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता	17
	2.10	राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम)	17
	2.11	मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	18
	2.12	फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना	19
	2.13	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश	20
	2.14	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास	21
III	3. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा		22
	3.1	प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल	22
	3.1.2	पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के मध्य मुख्य अंतर	22
	3.1.3	आवेदन शुल्क अपेक्षाएँ	23
	3.1.4	पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा	24
	3.1.5.	पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण	24
	3.1.6	प्रतिभूति जमा के लिए अधिसूचना	25
	3.1.7	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	25
	3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	26
	3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	27
	3.2.1	भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे	27
	3.2.2.	2019–20 के दौरान भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार	28
	3.3	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के संबंध में अधिसूचना	28
	3.4.	कागज आधारित भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ	29
	3.5	पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर जारी किया जाना	30
	3.6	भांडागारों का पंजीकरण	30
	3.7	तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति	33
	3.8	भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण	34
	3.9	भांडागारों की निगारानी तथा मॉनीटरिंग	34
	3.10	निरीक्षण एजेंसियों के पैनल तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश	35
	3.11	निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना	36
	3.12	निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान	36
	3.13	वर्ष 2019–20 में शामिल किये गये निरीक्षण अधिकारी	37
	3.14	भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण	38

	3.15	डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण	39
	3.16	वर्ष 2019–20 के दौरान रेपोजिटरी का कार्यनिष्पादन	40
	3.17	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण	40
	3.18	भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम	41
	3.18.1	भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	42
	3.18.2	भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण	44
	3.19	नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया तथा भांडागारों के विनियमन सहित ई–एन.डब्लू.आर परितंत्र पर आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन	46
	3.20	विदेशी प्रतिनिधि मंडल का दौरा	48
IV	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना		49
	4.1	परिचय	49
	4.2	रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ	49
	4.3	रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ	50
	4.3.1	गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण	50
	4.3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना	50
	4.3.3	रिपोजिटरी को लाइसेंस देने तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।	51
	4.3.4	प्राधिकरण का आई टी इको सिस्टम	52
	4.3.5	2019–20 के दौरान आईटी प्लेटफॉर्म का विकास	53
	4.3.6	डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी / डी.आर	54
V	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले		55
	5.1	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	55
	5.2	प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	55
	5.3	प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन	55
	5.4	राजभाषा क्रियान्वयन	56
	5.5	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन	57
	5.6	ओडिशा मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में योगदान	59
	5.7	प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण	59
	5.8	वर्ष 2019–20 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे	59
	5.9	डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग	59
	अनुलग्नक– **I**	वर्ष 2019–20 के लिए डब्लू.डी.आर.ए. के लेखों का विवरण	60
	अनुलग्नक– **II**	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट	94
	अनुलग्नक–**III**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग रिपोर्ट पर भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के उत्तर / टिप्पणियाँ	98

अध्यक्ष का वक्तव्य

मुझे हर्ष है कि भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए अग्रसारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भांडागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां नियम, 2010 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजने के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना शामिल है। रिपोर्ट में प्राधिकरण द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में चलाई गई गतिविधियों तथा विभिन्न विनियामक मुद्दों पर की गईं पहल भी शामिल की गई हैं।

जैसा कि रिपोर्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2019–20 में प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कार्यशालाओं , जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रमों, सहायता एवं मार्गदर्शन शिविरों तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों को लोकप्रिय बनाने हेतु पंजीकरण शिविरों तथा 31 मार्च, 2020 तक तमिलनाडु राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों के लिए शिविरों के आयोजन तथा अन्य पहलों के फलस्वरूप तमिलनाडु राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों के 723 भांडागारों सहित 23.32 लाख मी.टन क्षमता के कुल 1005 भांडागार पंजीकृत किए गए तथा पंजीकृत भांडागारों द्वारा 9.49 लाख मी.टन स्टॉक के लिए 138637 परक्राम्य भांडागार रसीद/ इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी की गई। 'वर्ष 2019–20 में पंजीकृत किए गए भांडागारों की संख्या तथा जारी की गईं' इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की संख्या प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक की सबसे अधिक हैं। कोविड–19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में प्राधिकरण की गतिविधियों प्रभावित हुईं लेकिन संगठन ने डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे ई–ऑफिस, ऑनलाइन पंजीकरण तथा निरीक्षण प्रणालियों, वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि की सहायता से कार्य करना जारी रखा।

इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2019–20के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षित विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

पी. श्रीनिवास

(पेटलूरीश्रीनिवास)
अध्यक्ष/(प्रभारी)

नई दिल्ली
दिनांक : 08-12-2020

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

अध्याय –I

सिंहावलोकन

1.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम.–2007, (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 के अधीन 26 अक्टूबर, 2010 को भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना की गई ।यह प्राधिकरण अधिनियम को क्रियान्वित करने तथा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए कार्यों को करने के लिए अधिकृत है ।

प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है । वर्तमान में, इसका किसी अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है । तथापि अधिनियम की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है ।

1.2 प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य हैं । अधिनियम में प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपना पदग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

श्री जी.सी. चतुर्वेदी द्वारा पैंसठ वर्ष आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप 16 जनवरी,2018 को अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था । डॉ0 बी.बी. पटनायक, सदस्य को 01 फरवरी, 2018 से 9 सितम्बर, 2019 तक पद पर रहने तक अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया । तत्पश्चात् श्री पी.श्रीनिवास, सदस्य को 10 सितम्बर, 2019 से अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है ।

वर्ष 2019–20 में अध्यक्ष और सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

नाम	कार्य–अवधि
डॉ. बी. बी. पटनायक, सदस्य एवं अध्यक्ष (प्रभारी)	12.09.2016 से सदस्य, एवं 01–02–2018 से 09.09.2019 तक अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार (09.09.2019 को सेवानिवृत्त)
श्री पी. श्रीनिवास,सदस्य एवं अध्यक्ष (प्रभारी)	10–01–2017 से सदस्य तथा 10.09.2019 से अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
श्री हरप्रीत सिंह सदस्य	21.2.2020 से सदस्य

1.3 संगठन

प्राधिकरण में 31.03.2020 को स्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या रिर्पोट के अध्याय –V में दी गई है।

1.4 लक्ष्य दूरदृष्टि और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य देश में पंजीकृत भांडागारों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना, परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के एक प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना तथा रसीद के विरूद्ध ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुविधाजनक बनाना, बैंको को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार का अवसर देना तथा पंजीकृत भांडागारों में जमा की गई वस्तुओ के विरूद्ध ऋण देने में उनकी रूचि में वृद्धि करना है।

परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली का उद्देश्य पंजीकृत भांडागारों रसीदों पर जमाकर्ताओं तथा बैंको का न्यासीय विश्वास बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, वित्त पोषण की लागत कम करना, छोटी एवं कुशल आपूर्ति श्रंखलाओं को बढ़ावा देना,ग्रेडिंग और क्वालिटी के लिए प्रतिफलों में वृद्धि करना और उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य जोखिम प्रबन्धन सुनिश्चित करना है। यह उम्मीद है कि इससे किसानों को उच्च प्रतिलाभ तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के माध्यम से बैंकों/गैर बैकिंग वित्तीय संस्थाओं से किसानों को गिरवी वित्त पोषण में सहायता मिलेगी तथा वे अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री करने से बच सकेंगें। परक्राम्य भांडागार रसीदें/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें व्यापार तथा पृष्ठांकन के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। परक्राम्य भांडागार रसीद अन्य कई हितधारकों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कम्पनियों, व्यापार, कोमोडिटी एक्सचेंजों तथा उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो सकती हैं। यह अधिनियम परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार तथा वैधानिक समर्थन भी प्रदान करता है।

अधिनियम के 25 अक्तूबर,2010 को अस्तित्व में आने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू हुई। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

(I) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लू.डी. आर.ए) की स्थापना करना;

(ii) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू करना;

(iii) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों का पंजीकरण एवं विनियमन करना;

(iv) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार और वैधानिक समर्थन प्रदान करना;

(v) भांडागार रसीद को परक्राम्य बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और जमाकर्ताओं तथा बैंकों का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना;

(vi) भांडागारपालों के कुप्रबन्धन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियेपन को रोकना

(vii) परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने सहित इसके विरूद्ध ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार तथा पंजीकृत भांडागार में जमा की गई वस्तुओं के विरूद्ध ऋण देने में रूचि में वृद्धि करना है।

1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता।

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भांडागारण का कारोबार करता है तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहता है, उसे प्राधिकरण से अपना भांडागार पंजीकृत कराना होगा। तथापि जो भांडागार परक्राम्य रसीद जारी नहीं करना चाहते, उन्हें भांडागार पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए भांडागारों को प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य।

अधिनियम की धारा 35 में प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों का प्रावधान है। प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विनियमन और क्रियान्वयन के लिए भांडागारण व्यवसाय के सुचारू विकास के लिए अधिकृत है। प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं:–

(i) भांडागारपालो के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।

(ii) भांडागारपालोंके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना।

(iii) भांडागारपालों तथा भांडागारण व्यवसाय में लगे कर्मचारियों के लिए अर्हताएँ, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना।

(iv) भांडागारमें जमा माल को गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उसके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना।

(v) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता एजेंसियों के अनुमोदन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना।

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य दर अवधारित करना और उनका उदग्रहण;

(vii) भाण्डागारों, प्रत्यायन एजेंसियों और भांडागारण के कारोबार से संबंद्ध अन्य संगठनों से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी शामिल है।

(viii) उन दरों, लाभों, निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करना जो भांडागारण कारोबार के संबंध में भांडागारपालों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएं।

(ix) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गतलेखाबहियाँ रखी जाएंगी और भांडागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे।

(x) मध्यस्थों का पैनल रखना और भांडागारों और भांडागार रसीदधारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

(xi) भांडागारों में जमा प्रतिमोच्य (फंजीबल) वस्तुओं के रख–रखाव एवं हस्तांतरण के क्रेडिट शेष के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रणाली विनियमित एवं विकसित करना।

1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 अधिनियमित होने से पूर्व भांडागारो द्वारा जारी भांडागार रसीदों के लिए जमाकर्ताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था। भांडागारपाल द्वारा छल–कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालिएपन की स्थिति में ऋण की वसूली न होने का भय था। उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त थे तथा उनमें समय लगता था। इसके अतिरिक्त परक्राम्य भांडागार रसीद का प्रारूप भी एक समान नहीं था। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में अड़चनें होने के कारण किसानों तथा सामान के जमाकर्ताओं के सामनेकाफी कठिनाइयाँ थीं। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए, कृषि वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए एक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया गया।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीद

अधिनियम की धारा 11 में परक्राम्य भांडागार रसीद का व्यापक ढांचा दिया गया है। अधिनियम की धारा 12 में भांडागार रसीद की परक्राम्यता का प्रावधान उपलब्ध है। परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रपत्र को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई.बी.ए) के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। परक्राम्य भांडागार रसीदों की पुस्तिकाओं का मुद्रण भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम द्वारा किया गया था और ये प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत भांडागारों को जारी की जा रही थीं। भौतिक परक्राम्य भांडागार रसीद की अद्वितीय विशेषताएँ जैसे उनकी प्रति तैयार नहीं कर सकना, अन्तहीन पाठ, शुद्ध रेखास्वरूप, इन्द्रधनुषी रंगों के साथ स्वच्छ मुद्रण इत्यादि हैं।

1.9 परक्राम्य भांडागार रसीदों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है:–

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि

(ii) वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, जिसके फलस्वरूप फसलकटाई के बाद होने वाली हानियों में कमी

(iii) वित्तपोषण की लागत में कमी

(iv) लघु तथा अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रंखलाएँ

(v) मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल

(vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन

(vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता वाला सामान)

1.10 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर)

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (रेपोजिटरी सहित जो भी नाम दिया गया हो) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नहीं है, लिखित में अथवा इलक्ट्रोनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भांडागारण परामर्शदायी समिति (वेअरहाउसिंग एडवाइजरी कमेटी) की सलाह से प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में 29 जून, 2017 को डब्लू.डी.आर.ए. (इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद) विनियम, 2017 जारी किए गए। इस विनियमों के अन्तर्गत जमा माल के विरूद्ध रेपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद जारी की जाती हैं।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। परक्राम्य इलेक्ट्रोनिक रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा पंजीकृत भांण्डागारों द्वारा जारी की जाती हैं। प्राधिकरण ने यह भी अधिसूचित किया है कि 1 अगस्त, 2019 से सभी पंजीकृत भांडागार केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेंगे।

1.11 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ

(i) इ–एन.डब्लू.आर केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

(ii) इ–एन.डब्लू.आर का एकमात्र स्रोत रेपोजिटरी प्रणाली है जहाँ से पंजीकृत भांडाागार द्वारा इ–एन.डब्लू.आर जारी की जाती है।

(iii) रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा गोपनीयता,सत्यनिष्ठा तथा इ–एन.डब्लू.आर में उपलब्ध सूचना रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) सभी इ–एन.डब्लू.आर की वैधता की एक समय सीमा है ।

(v) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे ऋण न चुकाना, समाप्ति, डिलीवरी न लेना तथा भांडागार में माल में क्षति तथा उसके खराब होने की स्थिति में इ–एन.डब्लू.आर की नीलामी की जा सकती है।

(vi) सभी इ–एन.डब्लू.आर का मार्केट अथवा कमोडिटी डिराइवेटिव एक्सचेजों के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है।

(vii) इ–एन.डब्लू.आर को सम्पूर्ण अथवा भाग में हस्तांरित किया जा सकता है।

1.12 इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के लाभ।

(i) भांडागार रसीद में धोखाधड़ी / खोने / छेड़छाड से बचाव।

(ii) समान भांडागाररसीद के विरूद्ध एक से अधिक वित्तपोषण से बचाव।

(iii) मॉनीटरिंग लागत में कमी तथा बाजार भागीदारों में विश्वसनीयता का बढ़ना।

(iv) बाजार भागीदारों तक सुगम पहुँच, जिसके फलस्वरूप वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी भांडागार रसीद को देख सकते हैं एवं तदनुसार प्रबंधन कर सकते हैं।

(v) सामान के भौतिक रूप में संचलन के बिना अधिक संख्या में हस्तांतरण, जिससे वित्तपोषण हेतु सुगम पहुँच।

(vi) अंशतः बिक्री / गिरवी / वापसी के लिए परक्राम्य रसीद के विखंडन की सुविधा।

1.13 प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन तथा खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) के सहयोग से एक रूपान्तरण योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत अन्य के साथ–साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाने वाली ई–एन डब्लू आर के सृजन तथा प्रबंधन के लिए लाइसेंस प्राप्त रिपोजिटरी के माध्ययम से एक ई–एन डब्लू आर प्रणाली की स्थापना पर विचार किया गया। रूपान्तरण की योजना का विवरण रिर्पोट के अध्याय IV में दिया गया है

1.14 प्राधिकरण की बैठक।

रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की 27 मई, 2019, 4 सितम्बर, 2019 तथा 9 सितम्बर 2019, को तीन बैठकें हुई, जिसमें प्राधिकरण, रेपोजिटरी, आई.टी. क्रियान्वयन, वित्त तथा मानव ससाधन संबंधी मामलों पर विचार किया गया।

1.15 भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी)

वर्ष 2019–20 के दौरान भांडागारण परामर्शदात्री समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.16 प्राधिकरण की वैबसाइट

प्राधिकरण के गठन, कार्यों तथा गतिविधियों संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वैबसाइटः **https://ww.wdra.gov.in** पर उपलब्ध हैं। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दिशानिर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। पंजीकरण से संबंधित सूचनाएँ भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण ने अपना वैबसाइट हिंदी में भी विकसित किया है।

1.17 विज्ञापन एवं प्रचार।

वैज्ञानिक भांडागारण तथा परक्राम्य भांडागार रसीद/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के बारे में किसानों तथा अन्य हितधारकों में जागरूक्ता उत्पन्न करने हेतु माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को प्राधिकरण के ई–पोर्टल तथा इ–एन.डब्लू.आर के शुभारम्भ के साथ प्राधिकरण ने ''सुरक्षित भंडारण–समृद्ध किसान'' शीर्षक से 6 मिनट की एक विडियो फिल्म भी बनाई, जिसमें सार्वजनिक भांडागारों तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभों को रेखांकित किया गया है। यह विडियो फिल्म माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम में रिलीज की गई। इसे व्यापक रूप में देखे जाने के लिए यू–ट्यूब https://youtu.be/pAjjnWvz34E तथा प्राधिकरण के वैबसाइट पर अपलोड किया गया है। फिल्म को प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया है तथा विभिन्न जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है।

इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए प्राधिकरण द्वारा ''डब्लू.डी.आर.ए. का प्रयास–किसानों का आर्थिक विकास''शीर्षक से 60 सैकेण्ड का विडियो स्पोट तैयार किया गया। यह https://www.youtube.com/watch2v=zyoak.glqxo पर अपलोड किया गया है। यह प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी अपलोड है। विडियो स्पोट को विभिन्न प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया है तथा विभिन्न जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिखाया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, नए भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में पंजीकरण की अपेक्षाओ एवं अधिसूचित वस्तुओं आदि का ब्यौरा देते हुए हिंदी तथा अंग्रेजी में विवरण–पुस्तिकायें तैयार की गई हैं। विवरण पुस्तिकाएँ भांडागारपालों / डब्लू.एस.पी जैसे लक्ष्य समूहों में वितरित की जाती हैं ताकि उन्हें पंजीकरण की नई प्रणाली एवं इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सके। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान किसानों में वितरित करने के लिए हिंदी में पैम्फलेट भी तैयार किए गए हैं।

1.18 प्रशिक्षण, आउटरीच तथा जागरूकता कार्यक्रम

प्राधिकरण प्रशिक्षण, जागरूकता तथा आउटरीच के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी), भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकर्स, व्यापारी, कमोडिटी एक्सचेंज, राज्य सरकारों के विभागों आदि के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रकार आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण अध्यय–III में दिया गया है।

अध्याय–II

कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

2. परिचय

देश में कृषि–जलवायु की भारी विभिन्नताओं के कारण भारत के किसान भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि उत्पादन तकनीकों में परिर्वतन, परिवहन–साधनों में सुधार तथा भंडारण की अच्छी सुविधाएँ एवं विपणन ढ़ांचे में बेहतरी के कारण कृषि अब एक वाणिज्यिक गतिविधि हो गई है। तथापि इस प्रकार के परिवर्तनों से इस क्षेत्र में काफी बिचौलिए भी आ गए हैं जिसके फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्य साल–दर–साल बढ़ते रहे हैं। किसान यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ उनके उत्पादों के लिए अच्छा बाजार होना भी आवश्यक है।

कृषि उत्पाद के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली से उम्मीद की जाती है:

i. प्राथमिक उत्पादक को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की व्यवस्था हो;

ii. किसानों के उत्पादों का रख–रखाव सही लागत पर हो तथा उसमंडी के लिए, जहॉ वे अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, परिवहन की सुविधा हो;

iii. उपभोक्ता द्वारा दिए जा रहे मूल्य के बढ़ने के साथ–साथ उसमें किसान का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए;

iv. गुणवत्ता में समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हो।

कृषि विपणन, फसल कटाई के बाद शुरू होने वाली कोई अलग गतिविधि नहीं है जैसा कि प्राय; समझा जाता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो बेचने–योग्य कृषि उत्पाद के उगाने से शुरू हो जाती है तथा इसमें विपणन प्रणाली के सभी पहलू जैसे फसल एकत्रित करना, श्रेणीकरण, संग्रह, परिवहन तथा वितरण शामिल हैं। सम्पूर्ण विपणन श्रंखला में भांडागारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में ऊपर वर्णित सभी पहलूओं पर ध्यान दिया जाता रहा है।

2.1 खाद्यान्नों का उत्पादन

उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के कारण स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में खाद्यानों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:–

तालिका 2.1

वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन मी. टन
1951-52	50.82
1961-62	82.71
1971-72	105.17
1981-82	133.30
1991-92	168.38
2001-02	212.85
2011-12	259.29
2015-16	251.54
2016-17	275.11
2017-18	285.01
2018-19	285.21
2019-20*	295.67

*15.05.2020 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

'तालिका 2-2 मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

फसल/समूह	उत्पादन (मिलियन टन में)		
	2017-18	**2018-19**	**2019-20***
चावल	112.76	116.48	117.94
गेहूँ	99.87	103.60	107.18
न्यूट्री/मोटे अनाज	46.97	43.06	47.54
दालें	25.42	22.08	23.01
कुल	**285.02**	**285.22**	**295.67**

*15.05.2020 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

2.2 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन

वर्ष 2018–19 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन 28.04 मिलियन गांठे (प्रत्येक गांठ का वजन 170 कि.ग्रा) तथा गन्ने का उत्पादन 405.42 मिलियन टन था। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019–20 में कपास तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 36.05 मिलियन गांठे तथा 358.14 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तिलहनों का उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल है, 31.52 मिलियन टन था जो वर्ष 2017–18 के 31.46 मिलियन उत्पादन से थोड़ा अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में तिलहनों का उत्पादन 33.50 मिलियन टन रहेगा।

(स्रोतः आर्थिक एवं सांख्याकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार)

2.3 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबधित कारकों को ध्यान में रखते हुए 22 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त तोरिया तथा भूसी रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमशः तोरीबीज, सरसों तथा खोपरा के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एम एस पी निर्धारित करते समय सी. ए.पी.सी अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे, उत्पादन–लागत, मांग–आपूर्ति की स्थिति, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, अन्तर–फसल मूल्य, कृषि तथा कृषि से इतर क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्ते शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सहित, भूमि, पानी तथा अन्य उत्पादनों स्रोतों का युक्तिसंगत उपयोग एवं एम.एस.पी.जी के मामले में उत्पादन लागत का 50% मार्जिन को ध्यान में रखता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में एम.एस.पी.को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा पर रखने के पूर्व–निर्धारित रिद्धान्त को ध्यान में रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार सरकार ने खरीफ, रबी तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषि वर्ष 2018.19 से अखिल भारत भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक प्रतिलाभ के साथ एम.एस.पी में वृद्धि की है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए सभी आवश्यक खरीफ एवं रबी फसलों के एम.एस.पी में क्रमशः पहली जून 2020 एवं 21 सितम्बर, 2020 को वृद्धि की घोषणा की है।

तालिका 2.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष) (प्रति क्विंटल)

क्र. स.	वस्तु	प्रजाति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	(#) एम.एस.पी. 2020—21 में वृद्धि 2019—20
	खरीफ फसलें							
1	धान	साधारण	1470	1550	1750	1815	1868	53(2.9)
		ग्रेड 'ए'	1510	1590	1770	1835	1888	53(2.9)
2	ज्वार	हाईब्रिड	1625	1700	2430	2550	2620	70(2.7)
		मलडंडी	1650	1725	2450	2570	2640	70(2.7)
3	बाजरा		1330	1425	1950	2000	2150	150(7.5)
4	रागी		1725	1900	2897	3150	3295	145(4.6)
5	मक्का		1365	1425	1700	1760	1850	90(5.1)
6	अरहर (तूर)		5050^^	5450^	5675	5800	6000	200(3.4)
7	मूंग		5225^^	5575^	6975	7050	7196	146(2.1)
8	उड़द		5000^^	5400^	5600	5700	6000	300(5.3)
9	कपास	मीडियम स्टेपल	3860	4020	5150	5255	5515	260 (4.9)
		लांग स्टेपल	4160	4320	5450	5550	5825	275(5.0)
10	मूंगफली छिलके सहित		4220*	4450^	4890	5090	5275	185(3.6)
11	सूरजमुखी सीड		3950*	4100*	5388	5650	5885	235(4.2)
12	सोयाबीन (पीला)		2775*	3050^	3399	3710	3880	170(4.6)
13	तिल		5000^	5300*	6249	6485	6855	370(5.7)
14	नाइजेर सीड		3825*	4050*	5877	5940	6695	755(12.7)
	रबी फसलें							
15	गेंहूँ		1625	1735	1840	1925	1975	50(2.6)
16	जौ		1325	1410	1440	1525	1600	75(4.9)
17	चना		4000^	4400@	4620	4875	5100	225(4.6)
18	मसूर (लेनटिल)		3950@	4250*	4475	4800	5100	300(6.3)
19	रैप्सीड		3700*	4000*	4200	4425	4650	225(5.1)
20	सूरजमुखी		3700*	4100*	4945	5215	5327	112(2.1)
21	तोरिया		3560	3900	4190	4425		
	अन्य फसालें							
22	खोपरा नारियल की गरी (कैलेण्डर वर्ष)	मीलिंग	5950	6500	7511	9521	9960	439(4.61)
		बाल	6240	6785	7750	9920	10300	380(3.83)
23	डी– अस्क नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		1600	1760	2030	2571	2700	129(5.0)
24	पटसन		3200	3500	3700	3950	4225	275(7.0)
25	गन्ना		230	255	275	275	285	10(3.6)

कोष्टक में दिए गए आंकडे प्रतिशत वृद्धि दर्शाते है
$ उचित एवं लाभकारी मूल्य
* 100/- रू प्रति क्विंटल दिखाते है बोनस सहित
^200/- प्रति क्विंटल बोनस सहित
^^425/- रू प्रति क्विंटल बोनस सहित
@150/- रू प्रति क्विंटल बोनस सहित

2.4 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद।

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेंहूँ तथा मोटे अनाज) संबंधित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खरीफ विपणन तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू मानक) निर्धारित कर सभी केन्द्रीय तथा राज्य खरीद एजेंसियों को समय–पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान में 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं लेकिन मुख्यतः गेंहूँ तथा चावल एवं दालों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेंहूँ तथा धान/चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने के लिए एवं पुराने स्टॉक के समापन की नीति अपनायी है ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाले किसी स्टॉक को उसे आगे न ले जाना पड़े।

2.5 गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद

तालिका 2.4 आंकड़े लाख मी. टन में

वस्तु/विपणन वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
गेंहूँ	308.24	357.95	341.33
चावल	381.85	443.99	510.46*
कुल	**690.09**	**801.94**	**851.79**

'02.09.2020 की स्थिति के अनुसार डेटा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के लिए प्रक्रियाधीन

(स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त सूचना)

2.6 दालों तथा तिलहनों की खरीद

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार का सहकारिता प्रभाग कुछ संशोधनों सहित पूर्व के मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस) को शामिल करते हुए मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पॉयलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) नाम से कई स्कीम चला रहा है जिन सब को मिलाकर ''प्रधान मत्री अन्नदाता एवं संरक्षण अभियान'' का नाम दिया गया है। इसके अलावा मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम चलाई जा रही है जिन्हें पी. एम–आशा कहा गया, इस पूरी स्कीम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को किसी एक की खरीद के लिए पूरे राज्य के लिए विशेष रूपसे तिलहनों के लिए पी.एस.एस तथा पी.डी.एस से कोई एक स्कीम चुनने का विकल्प है।दालें तथा खोपरा की खरीद पी.एस.एस के अधीन की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) को जिले प्राइवेट स्टॉकिस्ट को शामिल करते हुए चुनिंदा ए.पी.एम.सी में चलाई जा सकती है।

2.6.1 मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)

यह योजना संबंधित राज्य सरकार से निर्धारित प्रारूप में विभाग को दस्तावेजों सहित प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए राज्य को दालों, तिलहनों एवं खोपरा पर मंडी कर की छूट देने पर सहमत होना चाहिए तथा पटसन के बोरों, राज्य एजेसियों की कार्यशील पूंजी, पी.एस.ए परिचालनों के लिए निरंतर

निधि की सृजन आदि में केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए जैसा कि इस योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। इन वस्तुओं की खरीद पूर्व–पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के अंदर तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य कम हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय एजेंसियों के मानकों के अनुसार उचित और औसत गुणवत्ता आधार पर की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जानी वाली खरीद मौसम विशेष में वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% तक सीमित होगी। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार 25% से ऊपर खरीद करना चाहती है तो वह अपने व्यय एवं लागत पर स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से कर सकती है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25% से ऊपर तथा 40% तक खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार को उसे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपनी लागत पर प्रयोग करना होगा। पी पी एस के अधीन 2016–17 से 2020–2021 तक (5.8.2020 तक) दालों की खरीद का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 2.5

पी.एस.एस के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, तिलहनों तथा खोपरा की खरीद का विविरण 2016–17 से 2020–2021 21.09.2020 को मात्रा मी. टन में

श्रेणी/वस्तु	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	कुल
दालें						
चना	.	2,7,69,430.16	7,76,406.21	21,48,294.96	–	5,6,94,131.33
मसूर	.	2,46,943.85	56,237.87	1,433.88	–	3,04,615.60
मूंग	1,21,902.70	2,99,182.35	3,28,714.16	1,47,130.39	34.20	8,96,963.80
तूर	1,95,993.68	8,73,758.62	2,91,000.87	5,47,272.15	–	19,08,025.32
उड़द	15,747.65	3,63,593.88	4,92,294.14	132.31	–	8,71,767.98
कुल –दालें	3,33,644.03	45,52,908.86	19,44,653.25	28,44,263.69	34.20	96,75,504.03
तिलहन						
खोपरा	–	–	–	0.18	–	0.18
मूंगफली	2,11,678.93	10,51,582.68	7,17,517,.93	7,23,085.62	–	27,03,862.16
सरसो सीड	36,940.18	8,73,661.00	10,88,945.26	8,03,843.64	–	28,03,390.08
नाइजर सीड	. –	–.	15.90	–	–	15.90
तिल	3,419..81	–	–	–	–	
सोयाबीन	162.19	72,282.10	19,483.02	10,677.68	–	
सूरजमुखी	6,539.09	2,745.43	3,336,.33	5,267.08	–	–
कुल–तिलहन	2,58,740.20	20,00,271.21	18,29,295.44	1542874.20		55,07,268.31
खोपरा						
बॉल खोपरा	1,836.86	–	–	–	5,052.40	6,889.26
मीलिग खोपरा	4,488.94	–	–	313.66	35.58	48,38.18
कुल खोपरा	6,325.80	–	–	313,66	5,087.98	11,727.44
कुल योग	5,98,710.03	65,53,180.07	37,73,948.69	43,87,451.55	5,122.18	1,51,94,499.78

टिप्पणी

(I) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन एम.एस.पी दालों के खरीद को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ii) वर्ष 2018–19 में मूल्य न्यूवता भुगतान योजना। (पीडीपीएस) को मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की 16.83 लाख मी.टन की खरीद के लिए क्रियान्वित किया गया।

(iii) आर एम एस के खरीफ विपणन मौसम के (गर्मी की फसलों सहित) समान मौसम वर्ष वार खरीद।

(iv) *21.09.2020 तक खरीद

(स्रोतः कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के सहकारिता प्रभाग से प्राप्त सूचना)

2.6.2 मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)।

इस योजना अधीन राज्य को पी.एस.एस. के स्थान पर कुछ चुनिंदा तिलहनों के लिए पीडीपीएस का विकल्प चुनने के लिए कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजना होता है। यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा पूर्व–पंजीकृत किसानों को एक निश्चित अवधि में अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उचित औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) के तिलहनों के मूल्य के अन्तर को पाटने के लिए है। सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत खातों में किए जायेंगे। योजना में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। पी.डी.पी. एस के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री/मोडल मूल्य अर्थात् मूल्य न्यूनतम में से एस.एस.पी का 25%जो किसान प्राप्त करेगा (2%प्रशासनिक लागत सहित) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार की सहायता, उत्पादन के 25%तक दी जाएगी। यदि कोई राज्य 25%से अधिक मात्रा कवर करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से निधि जुटानी होगी। इस योजना के अधीन खरीफ सीजन 2018–19 में सोयाबीन की 16,82,700 मी.टन मात्रा मध्य प्रदेश में कवर की गई है।

2.6.3 निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)।

तिलहनों की खरीद के लिए राज्य निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए तिलहनों की खरीद हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस प्रकार की खरीद पूर्व पंजीकृत किसानों से जिले/चुनिंदा ए.पी.एम.एस से चुनिंदा स्टॉकिस्टों को शामिल करते हुए की जाएगी। निजी स्टॉकिस्ट का पैनल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसाार किया जाएगा। निजी स्टॉकिस्ट को उस वस्तु विशेष को राज्य में पी.डी.पी.एस/पी.एस.एस के अन्तर्गत अधिसूचित खरीद अवधि में बेचने की अनुमति नहीं होगी। भंडारण एवं परिवहन तथा निपटान सहित सभी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टॉकिस्ट की होगी। अधिकतम सेवा प्रभार वर्ष एवं उपज के लिए अधिसूचित एम.एस.पी के 15%तक होगा। इस प्रकार के निजी स्टॉकिस्ट जिले कृषि उत्पाद प्रबंधन समितियाँ से निर्धारित उचित औसत लागत क्वालिटी मानकों के अनुसार चुनिंदा तिलहनों की 25%खरीद कर सकेगा।

2.7 भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति।

देश में केन्द्रीयकृत डैटा बेस के अभाव में संगठित क्षेत्र में भांडागारण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सेकेण्डरी डैटा के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे संगठित भांडागारों की अनुमानित वर्तमान क्षमता 154.82 मिलियन टन है।

जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है भांडागारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) राज्य भंडारण निगमों (एस.डब्लू.सी) राज्य विपणन संघों, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

तालिका 2.6

क्र.सं.	संगठन/क्षेत्र का नाम	भांडागारण क्षमता
1.	भारतीय खाद्य निगम (कैप तथा सी.डब्लू.सी, एस.डब्लू.सी, राज्य एजेंसियों तथा प्राइवेट से ली गई क्षमता को छोड़कर)	12.78
2.	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी)	9.96
3.	राज्य भंडारण निगम (कैप स्टोरेज को छोड़कर)	39.72
	अन्य राज्य एजेंसियाँ (कैप स्टोरेज को छोड़कर)	
4	सहकारी क्षेत्र	16.52
6	निजी क्षेत्र	75.84**
	कुल	**154.82**

**इसमें कृषि विपनण एवं निरीक्षण तथा भारतीय खाद्य निगम की पी.ई.जी.एस के अन्तर्गत सृजित की गई क्षमता शामिल है, सी.डब्लू.सी, एफ.सी.आई, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार, एन.सी.डी.सी, से प्राप्त सूचना।

2.8 भंडारण क्षमता में वृद्धि

सरप्लस क्षेत्रों में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवर्द्धक नीतियों सहित भांडागारों के निर्माण सब्सिडी देने सहित कई पहल की हैं। यहाँ कुछ पहलों का विवरण दिया गया है;

2.8.1 कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई)

भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 01. अप्रैल, 2014 से कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (एम.एम.आई)के अधीन कृषि विपणन अवसंरचना आई.एस.एम की उपयोजना के नए परिचालन दिशा–निर्देशों के अनुसार यह 22.10.2018 से क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य (i) कृषि तथा अन्य सहायक उत्पाद जैसे बागबानी, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बाँस, लघु वनोत्पाद आदि जो किसानों की आय बढ़ाने के साधन हैं। (ii) कृषि तथा सहायक उत्पाद के विपणन के लिए वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्द्धत्मक चैनलों का विकास (iii) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित उत्पाद तथा कृषि वस्तुओं आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा ताकि फसल कटाई के बाद होने वाली हानियाँ कम हो सकें तथा किसानों तथा अन्य को वित्त पोषण तथा बाजार– पहुँच की सुविधा प्राप्त हो सके (iv) ग्रामीण हाट को ग्रेन कृषि बाजार का दर्जा प्राप्त होने में सहायता मिल सके जिससे किसान–उपभोक्ता बाजार लिंकेज बढ़ेगा (v) कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी तथा जिससे (क) किसानों को उनके उत्पाद के अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों को उगाने के प्रति उत्साहित होंगे (ख) गिरवी वित्त पोषण बढ़ेगा तथा इ–एन.डब्लू.आर के व्यापार को बल मिलेगा।

ए.एम.आई योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसकी सब्सिडी दर 25%से 33.33% तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभर्थियों की श्रेणी पर आधारित है। सब्सिडी पूँजी लागत मानक के अनुसार परियोजना की लागत पर दी जाती है।

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उप–योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना (पूर्व में ग्रामीण गोदाम योजना) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यवार सृजित भंडारण क्षमता इस प्रकार है:–

तालिका : 2.7

क्र. संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)
1	आंध्रप्रदेश	1382	5633425
2	अरूणाचल प्रदेश	1	945
3	असम	325	987169
4	बिहार	1036	587672
5	छत्तीसगढ़	595	1943795
6	गोवा	1	299
7	गुजरात	11752	4535548
8	हरियाणा	2025	6589727
9	हिमाचल प्रदेश	87	27486
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	83027
11	झारखंड	29	172316
12	कर्नाटक	4616	3878740
13	केरल	206	90511
14	मध्य प्रदेश	3902	10812230
15	महाराष्ट्र	3610	6761230
16	मेघालय	16	21012
17	मिजोरम	1	302
18	नागालैण्ड	1	814
19	ओडिशा	691	1009180
20	पंजाब	1745	6741842
21	राजस्थान	1483	2764745
22	तमिलनाडु	1127	1407402
23	तेलंगाना	768	4647771
24	त्रिपुरा	5	28764
25	उत्तर प्रदेश	1123	5337669
26	उत्तराखंड	287	772269
27	पश्चिम बंगाल	2555	1586176
	कुल	**39383**	**66422066**

2.8.2 निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008

सरकार ने सरकारी/निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के अन्तर्गत भांडागारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008निजी उद्यामियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के अधीन भंडारण क्षमता का निर्धारण सम्पूर्ण खरीद, क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर किया जाना था। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशको को 10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देती है।

राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर निजी उद्यमी गारंटी गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित क्षमता में से 143.63 लाख मेट्रिक टन क्षमता पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा 31.03.2020 को 4.77 मेट्रिक टन क्षमता निर्माण के विभिन्न स्तरों के अधीन है।

2.9 सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता।

ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षमता वाले सहकारिता भांडागारों की काफी संख्या है। इन भांडागारों में छोटे किसानों द्वारा अपने उत्पाद भंडारित कराने की अधिक संभावना के मददेनजर डब्लू.डी.आर.ए. सहकारी भांडागारों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने तथा किसानों को एन.डब्लू.आर जारी करने को बढ़ावा दे रहा है।31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में 67963 भांडागार हैं जिनकी कुल क्षमता 16.52 मिलियन टन है। इन में से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी) की सहायता से वर्ष 2019–20 में 9864 मी.टन क्षमता के 32 भांडागार/गोदाम और जोड़े गए।

2.10 राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम)।

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कृषि मंडी (एन.ए.एम) योजना अनुमोदित की थी। एन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डीजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई बिक्री करार, ई भुगतान एवं विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में मंड़ियों की पंहुच बढ़ाने के लिए 585 नियमित मंड़ियों में वैब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–एन.ए.एम में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 150 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। 31 मार्च, 2020 तक 99460 करोड़ मूल्य 3.39 करोड़ मी.टन कृषि उत्पाद का व्यापार किया जा चुका था। इ–नैम पर 16 राज्यों 2 संघ राज्य क्षेत्रों से 585 मंडियाँ ऑन बोर्ड है। इसके अतिरिक्त और 415 मंडियाँ अनुमोदित की गई हैं तथा मई, 2020 तक ई–नैम के साथ एकीकृत किए जाने की प्रक्रिया के अधीन हैं। इस प्रकार इन मंडियों की संख्या मई, 2020 तक 1000 तक पहुँच जाएंगी। वर्तमान में 150 वस्तुओं के गुणवत्ता मानदण्ड ई–नैम पर अधिसूचित किए गए है। ई–नैम स्कीम शुरू हो जाने के बाद 1.66 करोड़ किसानों, 1.28 लाख व्यापारियों, 70,194 कमीशन एजेंटों, 977 एफ.पी.ओ ने स्वयं की ई–नैम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया है।

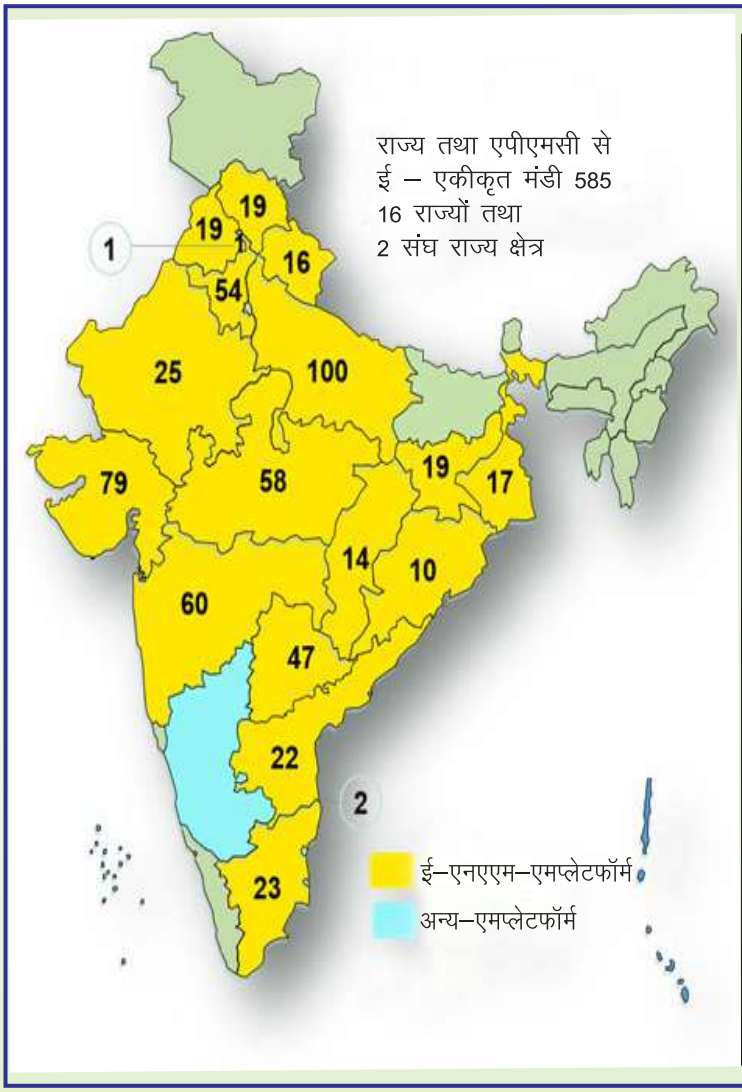

राज्य	नियमित बाजार
आंध्र प्रदेश	22
चंढ़ीगड़	1
छतीसगढ़	14
गुजरात	79
हरियाणा	54
हिमाचल प्रदेश	19
झारखंड	19
मध्य प्रदेश	58
महाराष्ट्र	60
ओडिसा	10
पुडुचेरी	2
पंजाब	19
राजस्थान	25
तमिलनाडु	23
तेलंगाना	47
उतर प्रदेश	100
उतराखंड	16
पश्चिम बंगाल	17
कुल	585

प्राधिकरण इ–एन.ए.एम के साथ इ.एन.डब्लू.आर प्रणाली के एकीकरण के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। पंजीकृत भांडागार को मार्केट सब –यार्ड घोषित किया गया है अतः इ–नैम अपने प्लेटफार्म पर स्टॉक की बिक्री कर सकता है ।

2.11 मॉडल राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017

किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु अप्रैल, 2017 में एक नया कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017 परिचालित किया। मॉडल अधिनिमय में वैकल्पिक विपणन चैनल जैसे निजी बाजार, सीधा विपणन, किसान मंडी, विशेष वस्तु बाजार का प्रावधान है ताकि किसानों को अपने उत्पाद प्रतिस्द्धर्धात्मक एवं लाभकारी मूल्यों पर बेचने की सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त कम होते जा रहे संसाधनों के भरपूर प्रयोग तथा बाजार में मूल्यों की अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों / संध राज्य क्षेत्रों के लिए ''मॉडल राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन

कांट्रेक्ट फार्मिंग एवं सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2018 को मई, 2018 में परिचालित किया। उपर्युक्त मॉडल कांट्रेक्ट फार्मिंग अधिनियम उत्पादन पूर्व से फसल कटाई से लेकर कृषि उत्पाद तथा पशुधन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट से लेकर पूरी मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

मॉडल अधिनियम का अध्याय II खण्ड 12 में भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इस प्रकार के ढांचे अथवा स्थान को मार्किट सब–यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने सेडब्लू. डी.आर.ए. के पंजीकृत भांडागार इ–एन.डब्लू.आर के अनुसार जमा सामान के प्रभावी व्यापार के लिए एक हब के रूप में कार्य करने लगेंगे। अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पुडुचेरी ने भांडागारो/साइलो/कोल्ड स्टोरेज को अपने ए.पी.एम.सी अधिनियम में डीम्ड मंडी घोषित करने का प्रावधान किया है।

2.12 फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना

भारत सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रू तक लघु अवधि फसल ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज–सहायता योजना खरीफ मौसम 2006–2007 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण तथा अर्ध–ग्रामीण शाखाओं द्वारा) अपने संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक दर से ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंको (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारिताओं (नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति) के माध्यम से चलाई जा रही है। 2%ब्याज सहायता के अलावा किसानों को फसल ऋण पर देय तारीख तथा उससे पहले ऋण चुकाने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। इस प्रकार ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है।

किसानों द्वारा अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े तथा वे उत्पाद को भांडागार में स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित हों इसके लिए वर्ष 2010–11 से एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागार स्टोर किए उत्पादों पर आगे छह महीने तक क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को उसी दर पर फसल ऋण ब्याज सहायता का लाभ दिया गया है।

वर्ष 2019–20 से वर्तमान में के.सी.सी होल्डर्स किसानों को जो सहायक गतिविधियों जैसे पशु पालन तथा मछली पालन में लगे हुए है; 3 लाख रूपए तक ऋण सीमा के अन्दर आई एस एस के लाभ दिए गए है। पशु पालन तथा मछली पालन करने वाले किसान भी नए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा दो लाख रूपए के ऋण तक आई एस एस के लाभ सहित पी आर आई भी प्राप्त कर सकते हैं। एन डी आर एफ अनुदान के लिए अन्तर–मंत्रालयीन केन्द्रीय दल तथा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एस सी–एन ई सी) की रिपोर्ट के आधार पर भारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान भी 2%ब्याज छूट सहायता तथा 3% पी आर आई का लाभ अधिकतम 5 वर्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2018–19 से आई एस एस "वस्तु रूप/सेवा आधार पर डी.बी.टी मोड पर है। किसानों के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए सुचारू कार्रवाई हेतु बैंको द्वारा प्रत्यक्ष प्रविष्टि के लिए एक आई एस पोर्टल विकसित किया गया है ताकि एक अच्छी खासी निगरानी प्रणाली अस्तित्व में आ सके।

आई एस एस स्कीम शुरू होने के बाद से किसानों को जमीनी स्तर (जी एल सी) पर ऋण संवितरण में अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–2007 में जी एल सी 2,29,400 करोड़ रूपए था जो वर्ष 2019–20 में बढ़ कर

13,73,766 करोड़ रूपए हो गया। बैंकों तथा किसानों को गत तीन वर्षो में भुगतान की गई ब्याज सब्सिीडी नीचे दी गई है।

तालिका 2.8

क्रम सं	वर्ष	रिलीज (करोड़ रूपए में)
1	2017-18	13,045.72
2	2018-19	11,495.67
3	2019-20	16,218.75

2.13 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश

भारत के रिजर्व बैंक के मुख्य निदेश (ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र अध्याय III- लक्ष्य एवं वर्गीकरण) 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि भांडागार रसीद के विरूद्ध कृषि उत्पाद के गिरवी/बंधक रख कर ऋण दिया जा सकता है।

क) स्वंय सहायता समूह/संयुक्त दायित्व समूह सहित अकेले किसान को कृषि उत्पाद को गिरवी/बंधक रख कर (भांडागार रसीद सहित) 12 मास की अवधि के लिए 50.00 लाख रू तक ऋण दिया जा सकता है।

ख) व्यवसायी, किसान एफ.पी.ओ/ किसानों की कम्पनियों, भागीदारी फर्म तथा किसानों के को–आपरेशन जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों में संलगन है; कृषि उत्पाद (भांडागार रसीद सहित) गिरवी/बंधक रखने द्वारा 12 मास की अवधि के लिए 50.00 लाख रू तक ऋण प्रदान किया जा सकता है।

बैंको से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् पता चला है कि वे केवल भांडागार रसीद को ही स्वीकार करते आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए यह आधार बनाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के मुख्य निदेश द्वारा इस दस्तावेज को गिरवी/बंधक रखने के लिए पात्र दस्तावेजों में शामिल किया है।

बैंकों ने यह फीडबैक भी दिया है कि ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के मुख्य निर्देश में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 से पूर्व भांडागार रसीदों को शामिल किया जा चुका था। दूसरी ओर अधिनियम में परक्राम्य भांडागार रसीदों को गिरवी वित्त पोषण के लिए मुख्य दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। चूंकि अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश शामिल नहीं किए गए इसलिए बैंक गिरवी वित्त पोषण के लिए भांडागार रसीदों को ध्यान में ले रहे हैं।

प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेश विभाग से पहले ही अनुरोध किया है कि ''भांडागार रसीद'' शब्दों के स्थान पर ''परक्राम्य भांडागार रसीद'' अंकित किया जाए क्योंकि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में ''परक्राम्य भांडागार रसीद'' का उल्लेख है। प्राधिकरण ने महाप्रबंधक, आर बी आई, कार्यकारी निदेशक आर.बी.आई, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग तथा इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के साथ कई बार बात की इ–एन.डब्लू.आर तथा रेपोजिटरी प्रणाली के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी गई

ऋणदाताओं/रसीदधारकों की वित्तीय सुरक्षा के संबंध में बताया गया तथा अनुरोध किया गया कि ''भांडागार रसीदों'' के स्थान पर ''परक्राम्य भांडागार रसीदे/इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदें'' शब्द लिखे जाए। डब्लू.डी.आर.ए. तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच कई बार बातचीत हुई है। यद्यपि इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए गए हैं तथापि परिणाम की अभी प्रतीक्षा है।

2.14 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास

इंडियन बैंक एसोसिएशन के अलावा डब्लू.डी.आर.ए. तथा विभिन्न सरकारी एवं निजीबैंकों के प्रतिनिधियों के बीच एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्त पोषण की प्रासंगिकता तथा आवश्यकता पर कई बार बातचीत हुई है। प्राधिकरण द्वारा बैंकों अधिकारियों के समक्ष एन.डब्लू.आर जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन तथा विशेषकर गिरवी प्रबंधन सहित रेपोजिटरीज द्वारा इ–एन.डब्लू.आर की सुरक्षा विशिष्टताओं तथा इसकी पारदर्शिता हस्तांतरण प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह सहमत होने के पश्चात् इनमें से कुछ बैंको ने रेपोजिटरी के साथ ऑन–बोर्डिग प्रक्रिया पहले से ही शुरू करने सहित ई–एन.डब्लू.आर को गिरवी–वित्तपोषण के लिए स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

अध्याय – III

3. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की समीक्षा

3.1 प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल

अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन प्राधिकरण ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए है। भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन की प्रक्रिया को सरल बनाने, पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उद्योग द्वारा आगे बढ़ कर स्वेच्छा से अपने भांडागारो को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराने के लिए एक उत्साहवर्द्धक वातावरण द्वारा सृजित करने के लिए वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण द्वारा कई पहल की गई है।

लोगों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में कुशलता लाने के उद्देश्य से, भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 संशोधित कर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। प्राधिकरण द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को दो रिपोजिटरी का पंजीकरण करते हुए इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू की गई। प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों में प्रतिभूति जमा संबंधित अधिसूचना जारी करना, भांडागार पंजीकरण प्रक्रिया का डिजीटाइजेशन, पंजीकृत भांडागारों के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली पंजीकृत भांडागारों में मुख्य लेन–देन कार्यो की ऑनलाइन मॉनीटरिंग एवं अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने तथा विश्वास उत्पन्न करने हेतु परक्राम्य भांडागार रसीद को बैंको से लिंक करना शामिल है।

3.1.2 पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के मध्य मुख्य अंतर

पुरान नियम, 2010 की तुलना में 23 फरवरी, 2017 अधिसूचित नए पंजीकरण नियमों से भांडागार की पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो गई है। नए नियमों का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समायावधि निश्चित करना तथा पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाना था। पुराने पंजीकरण नियमों की तुलना में नए पंजीकरण नियम, 2017 में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिए गए है:–

तालिका : 3.1

क्रम सं	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017
1	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन आवश्यक था।	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन की आवश्यकता नहीं हैं डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण से पूर्व पात्र आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता हैं
2.	एक आवेदक आवश्यक रूप से एक भांडागार कवर करेगा ।	एक आवेदक का आवेदन एक अथवा एक से अधिक भांडागारों के लिए हो सकता हैं
3.	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए थी ।	पंजीकरण अवधि 5 वर्ष के लिए हैं
4.	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल नेटवर्थ का सकारात्मक होना आवश्यक था ।	अब भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई हैं
5.	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होती थी।	परक्राम्य भांडागार रसीदों के कुल मूल्य के अनुसार अधिक उपयुक्त एवं गत्यात्मक प्रतिभूति जमा का प्रावधान हैं
6.	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) तथा 'अपने जमाकर्ता को जाने' (के.वाई.डी) का प्रावधान नहीं था ।	नए नियमों में के.वाई.डी तथा एस.ओ.पी को पूरी तरह परिभाषित किया गया हैं
7.	रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए प्रावधान नहीं था।	अब यह प्रावधान हैं

3.1.3 आवेदन शुल्क अपेक्षाएं

नए नियम के अनुसार भांडागारके पंजीकरण अथवा नवीकरण के लिए आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) इस प्रकार है:

तालिका : 3.2

भांडागार की क्षमता	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है।	रू, 20,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 टन से कम या समान है।	रू 25,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है।	रू 30,000/–

तथापि किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ)/सहकारिताओं द्वारा चलाए जा रहे भांडागारों के लिए केवल आवेदन शुल्क 5,000 रूपए निर्धारित किया गया है।

3.1.4 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की सातवीं अनूसूची के अधीन नियम 18 में डब्लू.डी.आर.ए. के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षाओं का प्रावधान है। नेटवर्थ की अपेक्षा को भांडागार(रों) की क्षमता जोड़ा गया है किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ) तथा सहकारी समितियों की क्षमता केवल साकारात्मक होनी चाहिए। 20 मार्च, 2018,का नेटवर्थ में फिर संशोधन किया गया है। विवरण इस प्रकार है :–

तालिका : 3.3

पहले निर्धारित नेटवर्थ		संशोधित नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी. टन)	शुद्ध नेटवर्थ (करोड़ रू में)	भण्डारण क्षमता (मी.टन में)	शुद्ध नेटवर्थ (करोड रू में)
1,000 से कम	0.5	1,000 से कम	0.1
1,001 – 5000	2.5	1,001 – 3000	0.25
		3,001 – 5,000	0.50
5,001 – 10000	5	5,001 – 7000	1.00
		7,001 – 10,000	2
10,001 – 25000	10	10,001 – 15000	5
		15,001 – 25,000	10
25,001 – 75,000	20	25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30	75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50	1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 और ऊपर	100	5,00,001 और ऊपर	100

3.1.5. पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण

पंजीकरण नियम, 2017 में भांडागारों की पंजीकरण अवधि पाँच वर्ष तथा 6 महीने ऊपर तक प्रतिभूति जमा रखने का प्रावधान है। व्यवसाय–अपेक्षाओं तथा प्रतिभूति जमा की बाधाओं को देखते हुए आवेदक पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकरण की मांग करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भांडागारों के पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तथा तदनुसार प्रतिभूति जमा हेतु 6 सितम्बर, 2018 से प्रावधान किया गया है।

3.1.6 प्रतिभूति जमा के लिए अधिसूचना

पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की वित्तीय सुरक्षा तथा बैंकों में गिरवी रखने अथवा मालिकाना दस्तावेज के रूप में व्यापार करने एवं आवेदक/भांडागारपाल की सुविधा के लिए भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा को पंजीकरण नियमों के अनुसार भारत के राजपत्र में जारी 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। तथापि प्रतिभूति जमा को और अधिक गत्यात्मक तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूति जमा की बारम्बारता तथा बैंक गारंटी/एवं सावधि जमा में 31 जनवरी, 2019 को अधिसूचना द्वारा इसे पुनः संशोधित किया गया। नई अधिसूचना के अनुसार प्रतिभूति जमा इस प्रकार है:–

(क) प्रतिभूति जमा का मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कॉलम क, ख, ग की कुल राशि होगी यहाँ भांडागारपाल से सभी पंजीकृत भांडागारों हेतु पिछली तिमाही में जारी कुल परक्राम्य भांडागार रसीदों का उच्चतम मूल्य 'टी' के रूप संदर्भित किया गया है।

तालिका : 3.4

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रूपए से कम अथवा 25 करोड़ रू के बराबर	0	'टी' का 3 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 250 करोड़ रूपए तक है	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक और 2,500 करोड़ रूपए तक है	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से अधिक है	26.625 करोड़	2,500 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार

(ख) जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (निर्धारित) प्रति भांडागार होगी।

(ग) प्रतिभूति जमा बैंक की सावधि जमा या डब्लू.डी.आर.ए. के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधान सभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय प्रतिभूति जमा के रूप में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध कर सकते है।

(ड़) भांडागारपाल द्वारा जारी कुल एन डब्ल्यू आर के उच्चतम मूल्य के आधार पर प्रत्येक तिमाही के आधार पर प्रतिभूति जमा उद्यतन करनी होगी।

3.1.7 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले भांडागार चलाने वाली तथा किसानों के काफी निकट काम करने वाली राज्य स्तर की सहकारी समितियों, विशेषकर किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ) से आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसानों के निकाय होने के नाते ये किसानों की भंडारण आवश्यकताएँ पूरी करती हैंतथा उनके द्वारा जमा उत्पादों के विरूद्ध वित्त भी मुहैया कराती हैं। इन भांडागारों के पास कम क्षमता तथा अपर्याप्त संसाधन सहित वैज्ञानिक भांडागार चलाने के लिए व्यावसायिक योग्यता का अभाव है। अतः इन संस्थाओं की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंजीकरण की अपेक्षाओं में वित्तीय तथा अवसंरचना के क्षेत्र में काफी छूट प्रदान की गई हैं।

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के भांडागारों को निम्नलिखित वित्तीय छूट उपलब्ध है :–

I. अन्य भांडागारों के लिए जाने वाले 20,000/–रू से 30,000/–रू पंजीकरण शुल्क की तुलना में इनके लिए पंजीकरण शुल्क केवल 5000/–रू है।

ii. भंडारण क्षमता चाहे कुछ भी हो, केवल नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए जबकि दूसरों के लिए भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।

iii. प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में प्रति भांडागार 50,000/– रू है (भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार का मूल्य चाहे जो हो) जबकि अन्य के लिए एक लाख रूपए तथा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के मूल्य का प्रतिशत है।

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों का अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं :–

i. यदि भांडागार ऐसे निकासी वाले स्थान पर स्थित है जहाँ बाढ़/पानी भरने की घटना नहीं हो सकती तथा नमी आने की संभावना नहीं है तो, प्लिंथ की ऊँचाई कम से कम 30 सै. मी. स्वीकार्य है।

ii. पंजीकृत किए जानेवाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मी.टन होगी।

iii. प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में वाहनों की पार्किंग तथा उनके घूमने की स्थान की उपलब्धता पर बल नहीं दिया जाएगा चूँकि कम क्षमता वाली यूनिटें सदस्य किसानों के लिए चलाई जाती हैं।

iv. भांडागार में चट्टा–योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि गलियारों के लिए सही स्थान छोड़ा गया हो।

v. भांडागार में सामान के भंडारण तथा परिरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा एक और स्टाफ सदस्य की (पूरे समय के लिए अथवा पार्ट टाइम आधार पर) लगाया गया होना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता वांछनीय है लेकिन भांडागार के पंजीकरण के लिए इसे आवश्यक नहीं माना जाता।

vi. पक्की चार दिवारी/कंटीले तारों की बाड़ पर बल नहीं दिया जाएगा। ताथपि भांडागार में स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए ताले लगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

vii. 500 मी. टन तक की क्षमता वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारो में कम से कम एक अग्नि शमन उपकरण आवश्यक प्रकार का तथा छह अग्नि शमन बाल्टियॉ होनी चाहिए। जिन भांडागारों की क्षमता 500 मी. टन से अधिक लेकिन 1500 मी. टन क्षमता तक है वहाँ तीन अग्नि शमन उपकरण तथा पन्द्रह अग्निशमन बाल्टियाँ होनी चाहिए।

3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन

आरम्भ में पंजीकरण आवेदन भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि कागज आधारित आवेदन तथा इसके साथ संलग्नकों के प्रस्तुतिकरण को बोझिल तथा समय लेने वाला पाया गया। अतः पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा एक सरल व पारदर्शी एवं इसकी ट्रैकिंग के लिए प्राधिकरण ने भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रणाली आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। नई प्रणाली में संबंधित गतिविधियों जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन प्रोसेसिंग वर्कफ्लो, संबंधित निरीक्षण एजेंसियों/

निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण प्रतिभूति जमा का प्रस्तुतिकरण तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली 1 नवम्बर, 2017 से लागू की गई । नई ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को उसके नए पोर्टल, https:/wdra.gov.in पर लॉगइन कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के लिए विस्तृत अनुदेश प्राधिकरण के होमपेज पर उपलब्ध हैं। नई प्रणाली के अनुसार आवेदकों को भांडागारों के पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लॉगइन के बाद वहाँ सृजित क्रेडेनशियल प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने के लिए पोर्टल के माध्यम से साइन इन करना होता है।

गैर व्यक्ति भांडागार सेवा प्रदाता (डब्लू.एस.पी) से संबंधित आवेदन की सरल तथा सुगम प्रोसेसिंग के लिए पंजीकरण को दो–स्तर–प्रकिया बनाया गया है। पहले स्तर पर भांडागारपाल आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। भांडागारपाल अनुमोदित होने के पश्चात्, अगले स्तर पर संस्था के अधीन सभी भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुतकरना होता है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखी गई एजेंसियों को भी प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण ऑनबोर्ड होने के लिए क्रेडेनशियल का प्रयोग कर पोर्टल पर साइन इनकरने के बाद निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आबंटन प्राप्त होगा तथा इसी प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाऐगी।

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

3.2.1 भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :–

I) व्यक्ति / प्राधिकरण प्रतिनिधि (गैर व्यक्ति संस्था के मामले में) का फोटोग्राफ

ii) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथा अपेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र

iii) मानक प्रचालन प्रक्रिया

iv) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज

v) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के अधीन तथा निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रति

vi) भांडागार का ले–आउट प्लान

vii) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) के मामले में में बेसिक डाटा शीट

viii) तकनीकी मानक जिसके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) निर्मित किया गया, के बारे में प्रमाण

ix) माल परखने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

x) माल तोलने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

xi) अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशमन उपकरण / बाल्टियाँ आदि

xii) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पहली / छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर भांडागार स्थित है, के अधिकारों के अभिलेख अथवा रजिस्ट्रीकृत हक विलेख

3.2.2. 2019–20 के दौरान भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार

भांडागार पंजीकरण पोर्टल के आंतरिक तथा बाहरी उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए इसे सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिअल टाइम मॉनीटरिंग के लिए और सुधार किए गए हैं। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:–

i) सभी श्रेणी के भांडागारो जैसे पारम्परिक, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

ii) पंजीकरण की तारीख से 90 दिन पूर्व की अवधि समाप्त होने की स्थिति पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण तथा भांडागार/भांडागारपालों का परिशोधन/अद्यतन

iii) पंजीकरण का ऑनलाइन सरेंडर

iv) प्रतिभूति की मान्यता के अनुसार पंजीकरण अवधि (पाँच वर्ष अथवा कम) प्रदान करना

v) पारम्परिक भांडागारों, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो की निरीक्षण रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

vi) निरीक्षण अधिकारियों का अपनी निरीक्षण रिपोर्टों की पीडीएफ प्रतियाँ प्रिंट करने की सुविधा

vii) एजेंसियों को डैशबोर्ड की सुविधा

viii) गैर–व्यक्ति संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा एसोसिएट प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ऑनलाइन अपडेशन का प्रावधान

ix) प्रतिभूति, जमा, गोदाम पट्टे,बीमा पॉलिसी की मान्यता स्थिति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग

x) पंजीकरण प्रक्रिया तथा विनियामक अनुपालन से संबंधित ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट का प्रावधान

xi) सिंग्ल भांडागार की एक से अधिक बीमा पॉलिसियों को अपलोड करने की सुविधा

xii) विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण आवेदन के लंबित होने को दिखाने के लिए डैशबोर्ड तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए रिअल टाइम की सुविधा

xiii) भांडागारों का ऑनलाइन स्टॉक निरीक्षण

3.3 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों केसंबंधमें अधिसूचना

यह अनुभव किया गया था कि पेपर आधारित परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रयोग के साथ खोने, क्षत–विक्षत होने, क्षति, लिखे गए पर लिखने एवं हेर–फेरकरने जैसी जोखिम जुड़ी हुई हैं तथा उनकी परक्राम्यता/हस्तान्तरण की भी सीमाएँ हैं। अतः इन जोखिमों/बाधाओं को दूर करने तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता/सत्यनिष्ठा में वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन रेपोजिटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकपरक्राम्य भांडागार रसीद शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इलेक्ट्रोनिक भांडागार का सृजन तथा प्रबंधन सुविधाजनक हो सके।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण ने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017, 29 जून, 2017 को जारी किए। प्राधिकरण ने ई–एन.डब्लू. आर के सृजन तथा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रेपोजिटर्स पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए है:–

(क) कोमोडिटीज फैसेलिटी मैसर्स सी.डी.एस.एल द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कामोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड़ (सी.सी.आर.एल)।

(ख) एन.सी.डी.एक्स. है जो पेशेवर ऑनलाइन नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड़ (एन.ई.आर.एल) ।

3.4. कागज आधारित भांडागार रसीद / स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ

इ–एन.डब्लू.आर एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज है। इस द्वारा कागज आधारित भांडागार रसीदों / स्टॉक रसीदों की तुलना में, संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रमुख लाभ तालिका 3.5 में दिए गए है।

तालिका 3.5

कागज आधरित / स्टॉक रसीद	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद
भावी खरीदार के लिए केवल एक ही तरीके से प्रयोग की जा सकती है।	खरीदारों की बड़ी संख्या के साथ यह किसान / जमाकर्ताओं को पूरे देश में बेहतर मोल–तोल कीपहुँच के लिए सहायता करती है
इसे विखंडित नहीं किया जा सकता।	इ–एन.डब्ल्यू.आर को वस्तु के एक भाग के हस्तांतरण के लिए विखंडित किया जा सकता है
खोने, कटने–फटने, छेड़–छाड़ तथा हेर–फेर करने तथा झूठा हिसाब करने की संभावना रहती है।	इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है।
पारदर्शी तरीके से कुशल क्लिअरिंग तथा ट्रेडिग में निहित कठिनाइयाँ आती है।	कृषि उपज की ट्रेडिंग में पारदर्शिता के साथ कुशल क्लिअरिंग, सैटलमेंट तथा डिलिवरी प्रणाली में सक्षम है।
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारको के साथ बाँटना मुश्किल ।	भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारकों जैसे बैंकर्स, कोमोडिटी एक्सचेंज सरकार आदि के साथ बाँटना आसान
रसीद में सूचना की एकरूपता नहीं	अधिनियम तथा विनियमन के अधीन मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	संविधिक निकाय डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा विनियमित
परखना अनिवार्य नहीं	इ परक्राम्य भांडागार रसीद में गुणवत्ता की सूचना देना अनिवार्य।
सामान प्राप्त किए बिना परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की जोखिम।	इस प्रकार की संभावना नहीं ।
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट एन.डब्लू.आर जारी करने की जोखिम	संभव नहीं
धोखाधड़ी से सामान का मूल्य अधिक बताना	कृषि बाजार के मूल्यों की पुनः प्राप्ति संभव
कोई निगरानी तथा पर्यवेक्षण नहीं	डब्लू.डी.आर.ए द्वारा नियमित निगरानी
वेअरहाउस रसीदों की कानूनी परक्राम्यता के बिना व्यापार के लिए हस्तांतरण / पृष्ठांकन के मामले में विधिमान्य हस्तांतरण की समस्या	इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया होने आदि से एक से अधिक संख्या में हस्तांतरण संभव है तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 का विधिमान्य बैकअप
गैर विनियमित भांडागारोंके मामले में अधिक मुकदमेबाजी	मुकदमेबाजी काफी सीमा तक घट जाएगी।

3.5 पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर जारी किया जाना

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागारपंजीकरण नियम, 2017 में प्रावधान है कि ''प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से, कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के पास रजिस्टर करेगा''।

इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया कि कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप से जारी नहीं करेगा तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के साथ ऑनबोर्ड होगा एवं केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद की जाएगी।

3.6 भांडागारों का पंजीकरण

1 नवम्बर, 2017 से भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद पंजीकरण के लिए कागज आधारित आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया गया है। आरम्भिक स्तर पर आने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रक्रिया में सुधार लेने के उपरांत पंजीकरण बढ़ा है तथा अब यह काफी चल निकला है।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों में 1005 भांडागारों को नीचे दिए गए इकाईवार विवरण के अनुसार पंजीकृत किया गया। प्राधिकरण की स्थापना से यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

तालिका 3.6

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	भांडगारपालों की संख्या	भांडागारों की संख्या संख्या	क्षमता (लाख मी. टन में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5	81	11.62
2	कम्पनी / सोसाइटी	28	139	6.88
3	सहकारी समिति	580	723	1.01
4	भागीदारी फर्म	15	11	0.80
5	व्यक्ति	63	51	2.99
कुल		691	1005	23.32

वर्ष 2019–20 में प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में 1005 भांडागार पंजीकृत किए जो प्राधिकरण की स्थापना से पंजीकृत भाण्डागरों की सबसे अधिक संख्या है। संस्थावार विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2019–20 के दौरान माहवार पंजीकृत भांडागार की प्रगति इस प्रकार है

Figure 3.1

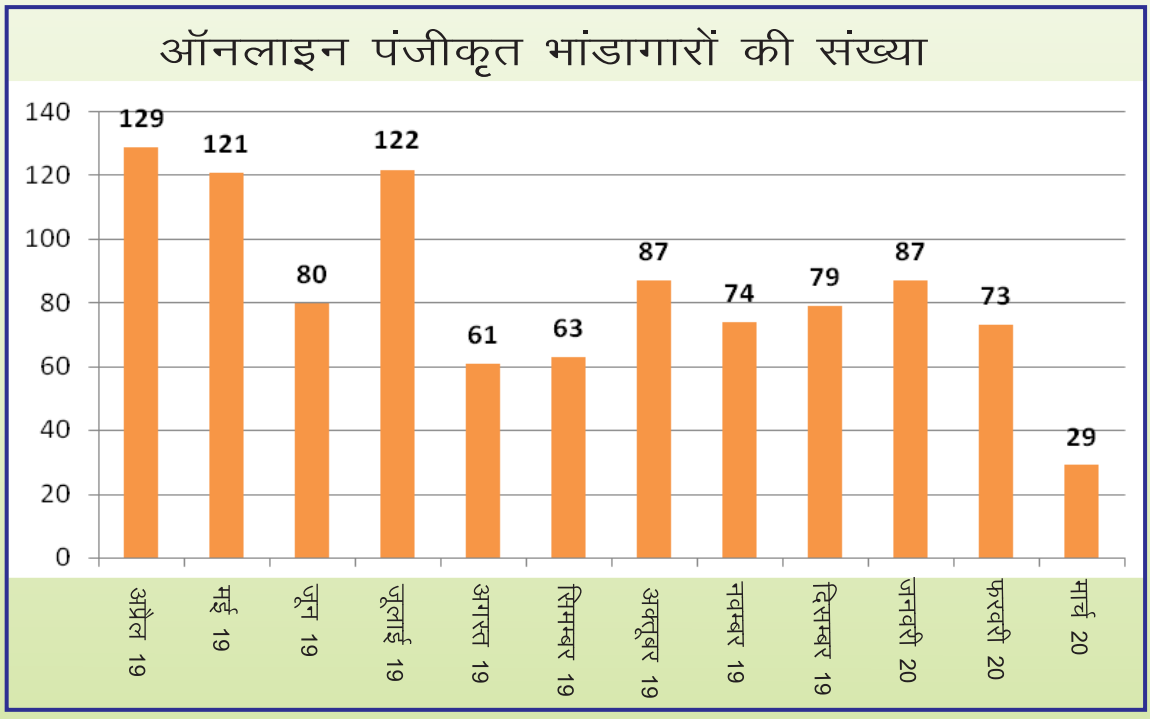

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना अर्थात् 2011–12 से पंजीकृत किए गए भांडागारों में से कुल 89.73 क्षमता के 1820 भांडागार सक्रिय रहे ।31.03.2020 को सक्रिय पंजीकरण सहित भांडागारों के पंजीकरण का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका 3.7

क्रम सं	राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या										
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	संचयी पंजीकरण	31.03.2020 को सक्रिय
1	आंध्रप्रदेश	45	16	15	19	09	00	03	20	28	155	53
2	असम	00	03	01	00	00	00	01	01	00	6	2
3	बिहार	00	00	02	00	02	01	02	04	05	16	8
4	छत्तीसगढ़	00	01	00	00	00	00	00	00	00	1	0
5	दिल्ली	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0
6	गुजरात	03	05	02	10	145	22	85	61	53	386	146
7	हरियाणा	15	00	00	00	08	00	02	08	06	39	13
8	हिमाचल प्रदेश	01	00	00	00	00	00	00	00	00	1	0
9	झारखंड	00	00	01	00	00	00	00	01	00	2	1
10	कर्नाटक	00	14	01	03	19	13	09	06	02	67	25
11	केरल	11	01	08	01	00	01	03	00	03	28	10
12	मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	197	66	659	334
13	महाराष्ट्र	22	14	00	08	56	40	35	66	32	273	106
14	उड़ीसा	01	00	00	00	00	00	00	02	00	3	2
15	पंजाब	04	09	00	01	00	00	00	08	00	22	6
16	पदुचेरी	01	00	00	00	00	00	00	00	00	1	1
17	राजस्थान	48	04	14	10	116	28	67	59	46	392	149
18	तमिलनाडु	52	00	14	128	71	05	03	126	757	1156	903
19	तेलंगाना	00	00	00	00	02	00	07	18	02	29	21
20	उत्तराखंड	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0
21	उत्तर प्रदेश	20	05	00	01	06	01	02	27	05	67	36
22	पश्चिम बंगाल	00	00	00	00	01	01	01	02	00	5	3
23	त्रिपुरा	00	00	00	00	00	00	00	01	02	00	5
	कुल योग	240	92	68	234	588	214	261	607	1005	3309	1820

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार संस्थावार तथा वर्षवार पंजीकृत भांडागार तथा सक्रिय भांडागारों का विवरण निम्न तालिका सं. 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8

संस्थावार	31.03.2020 को कुल सक्रिय										31 मार्च, 2020 को कुलसक्रिय
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	संचयी पंजीकरण	
के.भ.नि.	135	25	15	3	2	5	14	84	21	304	160
रा.भं.निगम	87	28	9	1	16	44	0	37	59	281	96
निजी	18	26	14	81	500	163	241	386	194	1623	732
पी.ए.सी / एफ.पी.ओ	0	13	30	145	70	2	1	97	723	1081	821
कोल्ड स्ओरेज	0	0	0	4	0	0	5	3	8	20	11
कुल	240	92	68	234	588	214	261	607	1005	3309	1820

3.7 तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

रिपोर्ट वर्ष में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (आर.सी.एस) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदर्शित रूचि को देखते हुए सकारात्मक नेटवर्थ वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता शिविर, पंजीकरण शिविर, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कुल 1.01 लाख मी. टन क्षमता के 723 भांडागार पंजीकृत किए गए। रजिस्ट्रार, अपररजिस्ट्रार तथा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिखाई गई रूचि एवं समर्थन सराहनीय तथा प्रशंसा योग्य है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति

2019–20 के दौरान माहवार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के भांडागारों का पंजीकरण

तालिका 3.9

माह	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
	पंजीकृत किए गए भांडागारों की संख्या
अप्रैल 2019	96
मई 2019	81
जून 2019	56
जूलाई 2019	103
अगस्त 2019	49
सिमम्बर 2019	45
अक्तूबर 2019	66
नवम्बर 2019	41
दिसम्बर 2019	48
जनवरी 2020	57
फरवरी 2020	60
मार्च 2020	21
कुल	723

3.8 भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालो/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गई है, जो 19 मार्च, 2019 से प्रचालन में है। इस तारीख से पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालों/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के अद्यतन के संबंध में सभी आवेदन केवलऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे है। दिनांक 20.01.2020 के परिपत्र सं. डब्लूडीआरए/2018/1–3/टैक–81 द्वारा यह बल दिया गया है कि डब्लू एस पी/भांडागारपालों को समान पंजीकरण सं. बनाए रखने के लिए पंजीकरण समाप्त होने के 3 महीने (90 दिन) पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

वर्ष 2019–20 में 21 भांडागारों के पंजीकरणका नवीकरण किया गया। राज्यवार तथा एजेंसीवार विवरण इस प्रकार है:–

तलिका 3.10

क्रम सं	राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	एजेंसी	पंजीकरण के नवीकरण की संख्या
1	राजस्थान	निजी क्षेत्र	09
2	गुजरात		03
3	महाराष्ट्र		03
4	मध्य प्रदेश		06
	कुल		21

3.9 भांडागारों की निगारानी तथा मॉनीटरिंग।

भांडागारों कीनिगरानी तथा मॉनीटरिंग पंजीकृत भांडागारों के विनियामक अनुपालन के लिए एककुशल मानीटरिंग तथा निगरानी प्रणाली की मूल आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक निरीक्षण प्रणाली विकसित की है:–

I) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन आधारभूत अवसंरचना प्रचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, नियमों और विनियमों और भांडागारों के पंजीकरण के समय प्रत्ययन एजेंसी द्वारा जाँच के रूप में जो बिन्दु निर्धारित किए गऐ हैं, पंजीकृत भांडागारों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उन्हें जारी रखना।

ii) परक्राम्य भांडागार रसीद की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना

इसके अतिरिक्त पैनल में रखी गई एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारी तथा प्राधिकरण के अधिकारी भी समय–समय पर विशेष परिस्थितियों में कुछ भांडागारों का निरीक्षण करते हैं:–

3.10 निरीक्षण एजेंसियों के पैनल तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश

प्राधिकरण ने निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसाार निरीक्षण एजेंसियों के चयन तथा पैनल में डालने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैः–

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप पैनल में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक हैः–

   क) आवेदक एक योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति हो ।

   ख) आवेदक द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए निरीक्षण किए हुए होने चाहिए।

   ग) आवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 निरीक्षण/ऑडिट किए हुए होने चाहिए

   घ) आवेदक द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान भांडागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य भंडारण एवं, खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम 30 निरीक्षण किए हो।

   ड.) आवेदक के पास निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार भांडागारों के निरीक्षण के तीन अर्हता प्राप्त निरीक्षण अधिकारी तथा भांडागारपाल होने चाहिए।

      I) विज्ञान में कम सेकम स्नातक डिग्री (अभियांजिकी तथा तकनीकी स्नातक सहित) कृषि अथवा संबंधित विज्ञान में स्नातक डिग्री।

      ii) निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात्– भण्डारण, परख, कृषि वस्तुओं के निरीक्षण एवं परीक्षण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

      iii) भाण्डागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण तथा खाद्य सुरक्षा में संलग्न भांडागारों, फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम पाँच निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

      iv) अच्छी आई.टी. कुशलताएं हो तथा ई–मेल, इंटरनेट आदि सहित ऑनलाइन रिर्पोट सिस्टम में कार्य करने की पूरी जानकारी हो।

      v) अधिमानत प्रशिक्षित एवं लाइसेंसशुदा परख कुशल ता हो।

   च) आवेदक के निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्यालय होने चाहिए।

      I) उत्तर (चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश सहित)

      ii) दक्षिण (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना)

      iii) पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित)

      iv) पश्चिम (दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)

      v) मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित)

2. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति की अपेक्षाएँ पूरी करता हो

3.11 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना

इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए छानबीन के पश्चात् पात्र संगठनों को शॉर्टलिस्ट कर छह निरीक्षण एजेंसियों को प्राधिकरण के निरीक्षण एजेंसी के पैनल में डाला गया। एजेंसियों को पैनल परिभाशित दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण (पंजीकरण से पूर्व) सामान्य निरीक्षण तथा अन्य निरीक्षण का कार्य सौपा गया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी हैं जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तथा निरीक्षण अधिकारी आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। निरीक्षण रिर्पोट भी ऑनलाइन फाइल की जा सकती है तथा निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती है। इससे ऐसे भांडागार, जिन्होंने निरीक्षण के लिए पंजीकरण हेतु डब्लू.डी.आर.ए. में आवेदन किया है, के निरीक्षण में लगने वाला समय काफी घट गया है।

पैनल में रखी गई एजेंसियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची।

1. ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 210, साँई राम प्लाजा 63, मंगल नगर, भंवरकुआँ ए.बी. रोड, इन्दौर–452001।
2. एस.एस.आर.ए. एंड कम्पनी, एम–13 एल जी एफ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2 नई दिल्ली–110049।
3. वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट, एच–08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान।
4. नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 24, राजेन्द्र प्लेस, नाबार्ड टावर, नई दिल्ली–110025।
5. टी क्यू सर्विसेस लिमिटेड, एस.बी.यू. क्वालिटी सर्विसिज स्पलेंडिड टावर, छठी मंजिल, एच नं 1–8–364, 437, 438 एवं 455, बेगमपेट, हैदराबाद–500016.
6. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्पादकता भवन, 5–6 इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003।
7. सनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड बी–231, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1 नई दिल्ली–110048.

भांडागारों के निरीक्षणों की बढ़ती संख्या को देखतें हुए प्राधिकरण ने और निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में रखने के लिए प्रक्रिया आारम्भ की है।

3.12 निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान

भंडारण एजेंसियों का शुल्क का भुगतान प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के लिए निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करता है।

तलिका 3.11

निरीक्षण का प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रतिनिरीक्षण षुल्क (सभी शामिल)		
	10,000 टन तक	10,000 से 25,000 टन तक	25,000 टन से अधिक
	(रू. में)	(रू. में)	(रू. में)
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500/–रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा।

2. यदि सामान्य निरीक्षण इनमें किसी एक अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण (ख) एस ओ पी निरीक्षण (ग) स्टॉक निरीक्षण के संबध में होगा तो, उस स्थिति में भुगतान के लिए निरीक्षण दों भौतिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार लागू होंगी।

3.13 वर्ष 2019–20 में शामिल किये गये निरीक्षण अधिकारी

निरीक्षणों के बढ़ते भार को देखते हुए प्राधिकरण पैनल में रखी गई एजेंसियों से, विशेषकर उन राज्य/क्षेत्रों में जहाँ पंजीकरण आवेदन की संख्या बढ़ रही है और निरीक्षण अधिकारी शामिल करने के लिए कहता रहा है। तदनुसार प्राधिकरण ने वर्ष 2019–20 में वर्ष में आवश्यक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले और निरीक्षण अधिकारी ऑनबोर्ड किए है। विवरण नीचे दिया गया है:–

तलिका 3.12

क्रम संख्या	निरीक्षण एजेंसी का नाम	क्षेत्रवार जोड़े गए निरीक्षण अधिकारी					2019–20 में शामिल निरीक्षण अधिकारी	31.03.2020 को कुल निरीक्षण अधिकारी
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	मध्य		
1	एस एस आर ए एंड कम्पनी	-	03	-	02		05	12
2	वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-	02	02	9
3	नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	-	02	-	-	-	02	50
4	टी क्यू सर्विस लिमिटेड	-	02	-	01	-	03	27
5	राष्ट्रीय उत्पादक परिषद	-		-	-	-	-	47
6	ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	01	04	-	01	-	06	12
7	सनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड	01	09	01	02	06	19	18
कुल							**37**	**175**

3.14 भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण

भांडागारों के पूर्व निरीक्षण से पहले प्राधिकरण ऐसे भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण भी करता है जो काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करते हैं।संबंधित एजेंसियों से प्राप्त विवरण के अनुसार भांडागारों में कृषि वस्तुओं के मात्रात्मक तथा गुणात्मक ऑडिट/निरीक्षण की योग्यता तथा अनुभव रखने वाले निरीक्षण अधिकारियों की स्टॉक निरीक्षण के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिकरी भी ऐसे भांडागारों की स्टॉक निरीक्षण के लिये तैनात किए जाते हैं जहाँ अचानक स्टॉक निरीक्षणअल्प सूचना पर किया जाना होता है।

वर्ष 2019–20 में काफी संख्या में भांडागारों स्टॉक निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट वर्ष कें दौरान किए गए स्टॉक निरीक्षणों की माह वार प्रगति इस प्रकार है:–

तालिका 3.13 2019–20 में भांडागारों के स्टॉक निरीक्षणों की माहवार प्रगति

माह	किए गए निरीक्षण की संख्या	निरीक्षण एजेंसी			एन.पी.सी.
		टी क्यू सर्विसेस	ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन	एस एस आर ए	
अप्रैल 2019	25	19	2	4	
मई 2019	30	20	2	8	
जून 2019	33	14	2	17	
जुलाई 2019	29	17	1	11	
अगस्त 2019	-	-	-	-	-
सितम्बर 2019	37	22	-	15	
अक्तूबर 2019	28	15	-	13	
नवम्बर 2019	25	-	8	17	-
दिसम्बर 2019	13	-	5	3	5
जनवरी 2020	16	-	8	6	2
फरवरी 2020	-	-	-	-	-
मार्च 2020	2	-	-	2	-
कुल	**238**	**107**	**28**	**96**	**7**

नेशनल कॉलेटरल मैनेजमेंट सर्विस लि. केयर ऑफ एस.के.कार्गो इंडिस्ट्रीज गेट नं. 1, भवाती निवारी टोंक, राजस्थान में स्थित भांडागार का डब्लू.डी.आर.ए द्वारा स्टॉक निरीक्षण

3.15 डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण।

प्राधिकरण ने इलक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर) के सृजन तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात मैसर्स सेण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित (सी.सी.आर.एल) तथा नेशनल कोमोडिटी एण्ड ड्राइवेटिज एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड को लगाया है। इन रिपोजिटरी द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :–

- खाताधारक के वैध प्राधिकार के आधार पर इ–एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर के सुरक्षित एवं सही सृजन, रख–रखाव तथा रद्दकरण करना।
- इ–एन.डब्लू.आर की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सभी सूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्लू.आर के हस्तांतरण, गिरवी अथवा गिरवी से हटाना एवं इ–नीलामी करना।
- इ–एन.डब्लू.आर अथवा भांडागार के माध्यम से ई एन.डब्लू.आर में दिए अनुसार, भाग में अथवा पूरी डिलीवरी देना

रिपोजिटरी प्रणाली 26 सितम्बर, 2017 से लागू हो गई थी। प्राधिकरण ने 23 अप्रैल, 2019 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन एवं प्रबन्धन हेतु पंजीकृत रेपोजिटरीज के लिए कॉर्पोरेट दिशा निर्देश भी जारी किए थे।

वर्ष 2019–20 के दौरान134939 ई–एन. डब्लू.आर. जारी की गई है। विवरण इस प्रकार है:–

तालिका 3.14

रेपोजिटरी	एक्सचेंज	नॉन एक्सचेंज	कुल
एन.इ.आर.एल	122765	2246	125011
सी.सी.आर.एल	9731	197	9928
कुल	**132496**	**2443**	**134939**

3.16 वर्ष 2019–20 के दौरान रेपोजिटरी का कार्यनिष्पादन

तालिका 3.15

क्रम. सं	विवरण	रेपोजिटरी का नाम		कुल
		एन.ई.आर.एल	सी.सी.आर.एल	
1	जारी की गई ई–एन.डब्लू.आर	125011	9928	134939
2	ई–एन.डब्लू.आर जारी कर रहे भांडागारों की सं.	236	121	357
3	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड भांडागारों की सं.	1133	1834	2967
4	जामाकर्ता/ग्राहकों की संख्या जिन्होंने खाते खोले	1634	613	2247
5	जोड़े गए आर.पी. की सं.	05	107	112
6	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड प्लेज (बैक/वित्तीय संस्थाएं)	20	08	28
7	ई–एन.डब्लू.ओर के विरूद्ध जमा किए गए स्टोक की मात्रा (लाख मी. टन)	8.55	4.43	8.98
8	ई–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध जमा स्टॉक का मूल्य (करोड़ रू में)	3972.063	1331.3782	5303.4412
9	ई–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध प्लेज/ऋण (करोड़ रू में)	320.6613	84.3487	405.01

3.17 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण

ई–नैम ऑनलाइन ट्रेडिंग, मंड़ियों के संपूर्ण कामकाज के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनियमित ए.पी.एम.सी. मंड़ियों में एक वेवआधारित प्लेटफार्म है, जहाँ पर ई–नैम सदस्य के उत्पाद को उस द्वारा मंड़ी में व्यापार के लिए अंतिम रूप देने के बाद भुगतान के लिए रखा जाता है। इसमें गेट एंट्री, लॉट मैनेजमेंट,

बीडिंग, ई–सेल एग्रीमेंट और ई पेमेंट आदि की गतिविधियाँ भी शामिल है। ई–नैम पर ट्रेडिग के लिए कमोडिटीज की परख हेतु 150 कृषि कमोडिटिज के लिए कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर विकसित किए गए है।

चूंकि ई–नैम एग्री कमोडिटी के लिए इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंगप्लेटफार्म है, इसलिए ई–एन.डब्लू.आर के माध्यम से आवश्यक परख/ग्रडिंग और अन्य डेटा भी बनाए रखा जाता है।

प्राधिकरण ने कृशि, सहकारिता ओर किसान कलयाण विभाग के साथ ई–एन.डब्लू.आर प्रणाली को ई–नैम के साथ एकीकरण के लिए मिलकर काम किया है ताकि पंजीकृत भांडागार द्वारा जारी की गई ई–एन.डब्लू.आर रखने वाले किसान/धारक अपना स्टॉक बेच सके और बेहतर मूल्य खोज सकें। पंजीकृत भांडागार को ई–नैम ए.पी.एम.सी मंडी में राज्य प्राधिकारियों द्वारा व्यापार के लिए उप–यार्ड के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रयोजन के लिए एक विषेश दिन पर ई–नैम प्लेटफार्म पर बोली लगाने के लिए ई–एन.डब्लू.आर धारक के अनुरोध को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए, रिपॉजिटरी (सी.सी.आर.एल और एन.ई.आर.एल) और ई–नैम के बीच एक आई टी इंटरफेस बनाया गया हे। अनुरोध में सभी आवश्यक जानकारी जैसे वस्तु की मात्रा/गुणवत्ता, ई–एन.डब्लू.आर विवरण, ई–इन.डब्लू.आर धारक का विवरण, प्रत्याशित मूल्य विक्रेता का बैंक खाता विवरण दिए जाते है। बोली को अंतिम रूप देने तथा इसे विक्रेता / ई–एन.डब्लू.आर धारक द्वारा स्वीकार करने के बाद, खरीदार जो ई–नैम का सदस्य है, वह ई–नैम को विनिर्दिष्ट दो दिन के अंदर ई–भुगतान करेगा।

ई–नैम प्रणाली अपना शुल्क काटने के बाद राशि को विक्रेता /ई–एन.डब्लू.आर के खाते में भेज देगी। ई–नैम खरीदार को ई–एन.डब्लू.आर हस्तांतरित करने के लिए भांडागार को संदेश भी भेजेगी (खरीदार के पास रिपोजिटरी के साथ ग्रांहक के खाता होना चाहिए अथवा उसके खाते में ई–एन.डब्लू.आर के हस्तांतरण के लिए रिपोजिटरी में से किसी के साथ खाता खोलना होगो)

इस व्यवस्था में, किसी किसान/ई–एन.डब्लू.आर धारक को ए.पी.एम.सी मंड़ी में अपना उत्पाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल ई–एन.डब्लू.आर का उपयोग करके अपनी उपज बेच सकता है। यह उसे बेहतर कीमत के लिए इंतजार करने की अनुमति देगाा और उसे अपनी उपज तुरंत बेचने की आवश्यकता नहीं होगी।

तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में लगभग 39 भांडागारों को संबंधित ए.पी.एम मंड़ी के ई–नैम प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए उन भांडागारों के ई–एन.डब्लू.आर धारक की सुविधा के लिए बाजार उप–यार्ड घोशित किया गया है।

3.18 भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम।

भांडागारण क्षेत्र का कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकृत भांडागारों के भंडागारपालों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम,2007 तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में लाभों की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2019–20 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है।

3.18.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।

वर्ष 2019–20 में प्राधिकारण ने 10 राज्यों में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों के लिए 115 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विषेशज्ञ संस्थाओं जैसे केन्द्रीय भंडारण निगम, सी.सी.एस.एन.आइ.एम. जयपुर, आइ.सी.एम, भोपाल, यू.आर.आइ.सी.एम, गाँधीनगर आई.सी.एम, जयपुर आई.सी.एम, चंडीगढ़ आई.सी.एम., हैदराबाद, ए.टी.ए.आर.आई, जबलपुर, मधुसुदन आई.सी.एम. भुवनेश्वर, आई.जी.आई.सी.एम लखनऊ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से आयेजित किए । जिसका विवरण निम्न है:–

तालिका 3.15

क्रम संख्या	संगठन	आयोजित किए कार्यक्रम की संख्या	भागलेनेवाले किसानों/व्यापारियों/मिल मालिकों की संख्या
1	केन्द्रीय भंडारण निगम	40	2000
2	सी.सी.एस.एन.आइ.एम. जयपुर	09	450
3	आइ.सी.एम. भोपाल,	08	400
4	आई.सी.एम. हैदराबाद	15	750
6	आई.सी.एम. चंडीगढ	15	750
	आई.सी.एम. जयपुर		
7	मधुसुदन आई.सी.एम. भुवनेश्वर	02	100
8	आई.जी.आई.सी.एम. लखनऊ	05	250
9	राज्य कृषि विश्वविद्यालय,जयपुर	05	250
10	यू.सी.आर.आई.एम गाँधीनगर	10	500
11	ए.टी.ए.आर.आई. जबलपुर	01	50
	कुल	**115**	**5750**

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अधीन हुई प्रगामी प्रगति का विवरण इस प्रकार है। कुल मिलाकर 727 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 36350 किसानों ने भाग लिया

तालिका 3.16

क्रम संख्या	वर्ष	आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1	2011-12	04	200
2	2012-13	96	4800
3	2013-14	138	6900
4	2014-15	85	4250
5	2015-16	95	4750
6	2016-17	98	4900
7	2017-18	97	4850
8	2018-19	114	5700
9.	2019-20	115	5750
कुल		**842**	**42100**

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा नारनौंद में आयोजित किसान जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 सी,डब्लू.सी नारगुंड में आयोजित किसान जागरूकता कार्यक्रम

3.18.2 भांडागारपाल/भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण।

भांडागारों को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भांडागारपालों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम पंजीकृत भांडागारों के भांडागारपालों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भांडागारपालों को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 का लक्ष्य,उद्देश्य तथा प्रमुख विशिष्टताएँ, भांडागारों की मान्यता का उद्देश्य तथा, भांडागारों का पंजीकरण, कृषि वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, कीट नियंत्रण पीड़क जन्तु नियंत्रण, भांडागारण प्रबंधन, परक्राम्य भांडागारण रसीदों के माध्यम से वित्त पोषण, भांडागारो एवं वस्तुओं का बीमा आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए भांडागारों में भंडारित कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण, नमूनाकरण परिरक्षण की तकनीकों को वास्तविक रूप में जानने हेतु निकट के पंजीकृत भांडागारों का दौरा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को भाग लेने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए

2019–20 में सी.डब्लू.सी (नई दिल्ली) तथा सी.सी.एस.एन.आई.एम, जयपुर तथा एन सी सी टी नई दिल्ली के माध्यम से 14 (चौदह) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 455 भांडागारपालों को प्रशिक्षित किया गया है:–

तलिका 3.17

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भांडागार प्रबंधकों की संख्या
1	सी.सी.एस.एन .आई.ए.एम जयपुर	08	224
2	सी.डब्लू.सी. नई दिल्ली	04	159
3	एन.सीकृसी.टी नई दिल्ली	02	72
	कुल	**14**	**455**

यहाँ उल्लेख करना भी प्रांसगिक होगा कि प्राधिकरण प्रति प्रशिक्षणर्थी, प्रति कार्यक्रम, भागीदार प्रशिक्षण संस्थाओं को 12,500 / रू+ जी.एस.टी का भुगतान करता है।

तलिका 3.18

क्रम संख्या	वर्ष	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भागिदारों की संख्या
1.	2011-12	एन.आइ.एम. जयपुर	02	65
2.	2012-13	डॉ एम.सी.आर. इंस्टिट्यूट हैदराबाद एवम एन. आइ.ए.एम. जयपुर	04	131
3.	2013-14	डॉ एम.सी.आर. इंनस्टिट्यूट हैदराबाद, एन. आइ.ए.एम. जयपुर, सी.डब्लू.सी. हापुड	11	414
4.	2014-15	आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़	10	354
5.	2015-16	सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (03) सी. डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (01)	04	96
6.	2016-17	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (04)	08	211
7.	2017-18	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (03), सी. सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (02)	05	127
8.	2018-19	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (05)	09	265
9.	2019-20	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (08), एन.सी.सी.टी. (02),	14	455
कुल			**67**	**2118**

आई.सी.एम. मदुरई में आयोजित भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम

आई.सी.एम, मदुरई में प्राथमिक सहकारी समितियों के अधिकारियों के लिए एन.सी.सी.टी द्वारा भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

3.19 नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया तथा भांडागारों के विनियमन सहित प्राधिकरण द्वारा ई–एन. डब्लू.आर परितंत्र पर आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।

(01) अपर सचिव, डब्लू.डी.आर.ए ने राजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ तमिलनाडु तथा प्रधान सचिव, सहकारिता, खाद्य तथा अपभोक्ता संरक्षण, तमिलनाडु सरकार के साथ तमिलनाडु में सहकारिता क्षेत्र में नए पंजीकृत भांडागारों के पंजीकरण तथा अन्य मामलों से संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में 29.04.2019 को बैठकें आयोजित की।

(02) अध्यक्ष (प्रभारी तथा सदस्य डब्लू.डी.आर.ए ने मैसर्स सी.डी.एस.एल कमोडिटी रेपोजिटरी लि. (सी.सी.आर. एल) तथा सी.डब्लू.सी द्वारा 17.05.2019 को इरोड में हितधारकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम को सम्बोधित किया जसमें 35 व्यापारियों, बैंक अधिकारियों आदि ने भाग लिया। संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों (जे.आर.सी.एस) इरोड तथा करूर जिला ने भी भाग लिया।

(03) अध्याक्ष (प्रभारी) तथा सदस्य डब्लू.डी.आर.ए ने 18.05.2019 को मदुरई में सी.सी.आर.एल तथा सी.डब्लू.सी द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम को सम्बोधित किया जिसमें स्थानीय व्यापारियों, बैंक तथा भांडागारों ने भाग लिया।

(04) तमिलनाडु के तिरूनवेली, विरूधनगर तथा करूर जिलों की प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए एक मागदर्शन प्रदान करने के लिए 11.07.2019 से 15.07.2019 तक कार्यशालायों आयोजित की गई जिसमें पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने/डब्लू.डी.आर के साथ भांडागारों के पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने/डब्लू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण की त्रुटियाँ दूर करने में सहायता दी गई ।

(05) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के लिए 16.7.2019 को लखनऊ में प्रक्रिया तथा इ–एन. डब्लू.आर. इको सिस्टम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के 50 अधिकारियों ने भाग लिया।

(06) नव नियुक्त कम्पनियों के निरीक्षण अधिकारियों के लिए 12.07.2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भांडागारों के आनलाईन पंजीकरण के संबंध में 10 निरीक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(07) डब्लू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण पर सी.सी.एन.आई.एम, जयपुर द्वारा एम.ए.एन.एम.जी.ई हैदराबाद में 13.08.2019 को ई एन.ए.एम तथा ई–एन.डब्लू.आर के बीच इंटरफेस पर कार्यशाला आयोजित कि गई।

(08) तमिलनाडु के विल्लुपपुरम में विल्लुपरम जिले के लिए भांडागारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में 08.08.2019 को जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें डब्लू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने/त्रुटियाँ दूर करने में सहायता प्रदान की गई।

(09) पी.सी.एस. के अधिकारियों के लिए 19.08.2019 को तमिलनाडु के इरोड में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें डब्लू.डी.आर.ए के भांडागारों के पंजीकरण हेतु आवेदन पस्तुत करने/त्रुटियाँ करने में बताया गया।

(10) डब्लू.डी.आर.ए के प्रशिक्षण भागीदार सी.सी.ए.एन.आई.एम द्वारा विजयवाडा आन्ध्र प्रदेश में 31.08.2019 को भांडगार पंजीकरण तथा ई–नैम तथा इ–एन.डब्लू.आर के बीच इंटरफेस पर कार्यशाला आयोजित की गई।

(11) राजकोट, गुजरात 19.09.2019 को सौराष्ट्र कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशण राष्ट्रीय बागवानी मिशन गुजरात के सहयोग से कमाडिटी रेपोजिटरी पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(12) सदस्य, डब्लू.डी.आर.ए ने विजयवाड़ा में 01.10.2019 को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कोल्ड स्टोरेज मालिक संद्य को संबोधित किया।

(13) डब्लू.डी.आर.ए. ने मैसर्स एन.सी.डी.सी द्वारा 11–13 अक्तूबर, 2019 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी समितियों में भांडागारण सहित डब्लू.डी.आर.ए के संबंध में आगुतंकों को सूचनाएँ प्रदान की।

(14) डब्लू.डी.आर.ए ने 11–13 अक्तूबर 2019 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में एन.सी.डी.सी द्वारा आयोजित कम लागत पर सेवा प्रदाता–सहकारी समितियाँ विषय को प्रायोजित किया। श्री पी.श्रीनिवास, अध्यक्ष (प्रभारी) डब्लू.डी.आर.ए ने सहकारिताओं द्वारा भांडागारण के क्षेत्र में डब्लू.डी.आर.ए की भूमिका पर अपना संबोधन प्रस्तुत किया।

(15) नई दिल्ली स्थित डब्लू.डी.आर.ए के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारियों के लिए स्टॉक निरीक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया डब्लू.उी.आर.ए के पैनल में रखी गई निरिक्षण एजेंसियों के 15 निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

(16) सदस्य तथा निदेशक डब्लू.डी.आर.ए ने पी.ए.सी के सचिवों के साथ भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण में मागदर्शन प्रदान करने संबंधी सत्र आयोजन किया तथा तमिलनाडु तिरूवन्नामलाई, तंजावूर एवंतिरूपुर जिलों के संयुक्त रजिस्ट्रारों के साथ बैठकें आयोजित की।

(17) अध्यक्ष डब्लू.डी.आर.ए द्वारा चंडीगढ़ में 06.02.2020 को ई–इन.डब्लू.आर इको सिस्टम तथा भांडागारण आधारित खरीद के संबंध में हरियाण सरकार के प्रधान सचिव को प्रस्तुति दी।

3.20 विदेशी प्रतिनिधि मंडल का दौरा

श्री हैबटेसिलेसी (इथोपिया राजदूतावास में मंत्री काउंसिल) के नेतृत्व में फैडरेल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इथोपिया के प्रतिनिधिमंडल ने इथेपिया के दस सदस्यीय अध्ययन दल के साथ 16 दिसम्बर, 2019 को परक्राम्य भांडागार रसीद इको सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डब्लू.डी.आर.ए. कार्यालय का दौरा किया।

16.12.2019 को इथोपिया गणतंत्र के प्रतिनिधिमंडल का डब्लू.डी.आर.ए दौरा

अध्याय–IV

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

4.1 परिचय

परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली में निम्नलिखित चुनौतियों के कारण एन.डब्लू.आर परितंत्र का विस्तार सीमित है:–

(i) भांडागारण क्षेत्र अधिकतर असंगठित तथा छितरा हुआ रहा है।

(ii) भांडागारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है। अतः पंजीकृत भांडागारों की संख्या में वृद्धि का अवसर सीमित है।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत विनियमन की रूपरेखा अपर्याप्त है।

(iv) पंजीकरण प्रणाली तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की प्रक्रिया कागज आधारित थी।

(v) पंजीकृत भांडागारों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रणाली अपर्याप्त थी।

उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी) के सहयोग से सार्वजनिक भांडागारण के परितंत्र को सशक्त बनाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के विरूद्ध किसानों जमाकर्ताओं को फसल कटाई बाद ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा और अधिक बेहतर बनाने के लिए रूपानन्तरण योजना शुरू की थी।

रूपांतरण योजना का प्रमुख केन्द्र बिन्दु परक्राम्य भांडागार रसीदों के उपयोगकर्ताओं एवं पंजीकृत भांडागारों को निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर संवाएँ प्रदान करना है:–

(क) भांडागारण क्षेत्र के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन

(ख) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के संबंध में नियमों तथा विनियमनों का पुनर्लेखन

(ग) भांडागार निरीक्षण प्रणाली तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा को सशक्त बनाना।

(घ) भांडागारों के पंजीकरण तथा निगरानी सहित प्राधिकरण के आंतरिक कार्यालय ऑटोमेशन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

4.2 रूपांतरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ

रूपान्तरण योजना के अधीन निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गई:–

I) भारत में भांडागारण क्षेत्र के संबंध में एक गुणात्मक सर्वेक्षण तथा तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण करना।

ii) भांडागारों के पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, भांडागारों के निरीक्षण की सशक्त प्रणाली एवं शिकायत एवं विवाद निवारण प्रणाली तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना

iii) रूपान्तरण योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक सलाहकार को लगाना।

iv) जमा किए गए स्टॉक के लिए पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्लू.आर) के सृजन एवं प्रबंधन के लिए आई.टी. आधारित परितंत्र स्थापित करने हेतु रिपोजिटरीज को लाइसेंस देना।

v) सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा डब्लू.डी.आर.ए के पोर्टल के लिए आई.टी. इको सिस्टम, ऑनलाइन व्यवसाय प्रक्रियाऐं पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली, आंतरिक ऑटोमेशन आदि शुरू करना।

4.3 रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ

4.3.1 गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण

(क) गुणात्मक सर्वेक्षण

प्राधिकरण ने अप्रैल–जून 2015 में भारत में एन.आई.पी.एफ.पी के माध्यम से 9 राज्यों के 11 जिलों में गुणात्मक सर्वेक्षण कराया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में भांडागारण व्यवसाय में भांडागार परितंत्र के संबंध में हितधारकों के अनुभवों का जानना तथा भांडागार रसीद वित्त बाजार की गहराई में जाना तथा तत्संबंधी जोखिम को समझना था।

(ख) प्राधिकरण ने मैसर्स टी.एन.एस. प्रा.लि. नामक एक सर्वेक्षण एजेंसी से 2015–18 की अवधि में तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य उद्योग के अंदर (i) आधरभूत सुविधाओं (ii) मालिकाना हक (iii) प्रयोग पैटर्न(iv) कमोडिटी वित पोषण (v) भांडागारपालों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं की चिंताओं तथा हितो को जानना था।

पहला मात्रात्मक सर्वेक्षण 2015–16

- पहला वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 में अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक आयोजित किया गया।

दूसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17

- दूसरा वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17, जून, 2016 से अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित किया गया।

तीसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2017–18

- तीसरा वार्षिक मात्रात्मक 2017–18 जनवरी 2017 से जून, 2017 के दौरान किया गया।

4.3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना।

रूपान्तरण योजना के अधीन पंजीकृत भांडागारों के लिए सरल तथा प्रभावी विनियमों तथा ई–एन.डब्लू.आर प्रणाली हेतु निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशा निर्देश अधिसूचित/जारी किए गए:–

i) रिपोजिटरीज तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन दिशानिर्देश 20.10.2016 को जारी किए गए।

ii) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 भारत सरकार द्वारा 23.02.2017 को अधिसूचित किए गए।

iii) निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश 03.03. 2017 / 26.12.2018 को जारी किए गए।

iv) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम 29.06.2017 को जारी किए गए।

v) भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा अपेक्षा पर 6 जुलाई, 2017 को परिपत्र जारी किया गया जिसे बाद में प्रतिभूति जमा की अपेक्षा में संशोधन के लिए 2 जनवरी, 2019 का अधिसूचित किए गए।

vi) शिकायतों एवं विवादों का निवारण संबंधी दिशानिर्देश 06.12.2017 का जारी किए गए।

vii) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन एवं प्रबंधन के लिए पंजीकृत रिपोजिटरीज हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 23.04.2019 को जारी किए गए।

4.3.3 रिपोजिटरी को लाइसेंस देने तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।

प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन सहित इ–इन.डब्लू.आर से संबंधित सूचना की गोपनीयता, विश्वसनीयता तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दो रिपॉजिटरी स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया था ताकि इ–एन.डब्लू.आर का हस्तातरण, गिरवी रखा जाना तथा निकासी इ–एन.डब्लू.आर धारक के अनुरोध के अनुसार किया जा सकः–

- मैसर्स सैण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसीज लि. (सी.डी.एस.एल) द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कमोडिटी रिपोजिटरी लि. (सी.सी.आर.एल)।
- नेशनल कमोडिटी ड्राइवेटिव एक्सचेंज (एन.सी.डी.एक्स) द्वारा प्रायोजित मैसर्स नेशनल ई–रिपोजिटरी लि. (एन.ई.आर.एल) ।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को पंजीकृत भांडागारों द्वारा रिपोजिटरी प्रणाली पर इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद जारी करना आरम्भ किया था। प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को उपर्युक्त दोनों रिपोजिटरी को परिचालन शुरू करने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए। रिपोजिटरीज ने 26 सितम्बर, 2017 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। रिपोजिटरीज ने पंजीकृत भांडागारों को ऑनबोर्ड किया तथा रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को रिपोजिटरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए रिपोजिटरी भागीदार (आर पी) लगाए हैः–

रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ता निम्नलिखित हैः–

- डब्लू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत भांडागार (सीधे ऑनबोर्ड),
- जमाकर्ता / क्रेता–ग्राहक,
- क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज,
- बैक / वित्तीय संस्थाएँ,
- रिपोजिटरी भागीदार,
- नीलामी प्लेटफार्म लिंकेज,

रिपोजिटरी प्रणाली के प्रारम्भ से कुल 2,12,385 ई–एन,डब्लू, जारी की गई है। वर्ष 2019–20 में 1,34,939 ई–एन,डब्लू.आर जारी की गई।

कमोडिटी ड्राइवेटिव एक्सचेंज से सहसंबद्धता

प्राधिकरण द्वारा विनियमित रिपोजिटरी अर्थात् मैसर्स सी.सी.आर.एल तथा मैसर्स एन.ई.आर.एल ने क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज जैसे एन.सी.डी.एक्स, एम.जी.एक्स, आई.जी.एक्स, बी.एस.ई आदि के साथ इंटरफेस विकसित किया है। ई–एन.डब्लू.आर ड्राइवेटिव कांट्रेक्ट सेटलमेंट के लिए प्रयोग की जाती है।

ई–एन.डब्लू.आर का ई–नैम के साथ एकीकरण

ई–एन.डब्ल.आर का भारत सरकार की ई–नेम (इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी) के साथ एकीकरण हेतु इंटरफेस विकसित किया गया है ताकि ई–एन.डब्लू.आर की ट्रेडिंग की सुविधा ई–नैम पर उपलब्ध हो सके। ई–नैम पलेटफार्म परिचालन में है।

4.3.4 प्राधिकरण का आई टी इकोसिस्टम

प्राधिकरण ने अपने आई टी अनुप्रयोगों के विकास के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मैसर्स सी.एम.एस कंप्यूटर्स को लगाया है।

निम्नलिखित आई टी मॉड्यूल विकसित तथा परिचालित किए गए हैः–

क) डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल

ख) ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा–निरीक्षण मॉडयूल

- भांडागारों का पंजीकरण
- भांडागार का निरीक्षण आबंटन तथा रिपोर्टिंग
- भांडागार के पंजीकरण का नवीकरण
- भांडागार के पंजीकरण का अभ्यर्पण
- भांडागारों के पंजीकरण का रददीकरण
- प्रतिभूति जमा (एस.डी) की समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ई–मेल अलर्ट का एकीकरण
- बीमा समाप्ति के लिए एस एम एस/ ईमेल अलर्ट का एकीकरण
- प्रभावी नियंत्रण समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ईमेल अलर्ट का एकीकरण
- प्रभावी नियंत्रण समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ईमेल अर्लट का एकीकरण
- पंजीकरण/नवीकरण के लिए लचीली अवधि की सुविधा
- ए.आर. द्वारा ए.ए.आर जोड़ना/परिवर्तन
- ईमेल आधारित सपोर्ट टिकट प्रबंधन का क्रियान्वयम

ग) पर्यवेक्षण तथा निगरानी प्रणाली

- भांडागार पंजीकरण रिपोर्ट
- ई–एन.डब्लू.आर रिपोर्ट
- एम.आई.एस.एम.एस रिपोर्ट जिसमें सारांश रिर्पोट, विस्तृत रिपोर्ट, अपवाद रिपोर्ट तथा, अलर्ट शामिल है।

घ) ई.आर.पी लेखाकरण सिस्टम (ओडीओओ)

- लेखाकरण
- पे रोल
- सम्पत्ति वस्तु सूची प्रबंधन

ड़) डब्लू.डी.आर.ए शिकायत निवारण प्रणाली

च) ई–लर्निंग, प्लेटफार्म

छ) आई.टी.हेल्पडेस्क की सीापना

ज) रिपोजिटरी के साथ डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल का एकीकरण

झ) ई–कार्यालय की शुरूआत

- ई–फाइल
- ई–अवकाश
- ई–प्राप्तियाँ

ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण सहित डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल की शुरूआत 26 सितम्बर, 2017 की गई थी। ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण माड्यूल ने 1 नवम्बर, 2017 से पूरी तरह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

4.3.5 2019–20 के दौरान आईटी प्लटफॉर्म का विकास

आई.टी प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट वर्ष के दौरान आई टी प्लेटफार्म पर निम्नलिखित कार्य किए गए:–

(क) ई.एन.डब्लू.आर के लिए निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण रिपोर्ट।
डैशबोर्ड अधिसूचनाएँ – 07
रिपोजिटरी रिपोर्ट–10
रिपोजिटरी सारांश रिपोर्ट– 06

(ख) भांडागार प्रबंधन प्रणाली (डब्लू.एम.एस)

भांडागार प्रबंधन प्रणाली (डब्लू.एम.एस) को सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। इसकी निम्नलिखित विशिष्टताएँ हैं:–

यह हर स्टॉक के ट्रैक तथा हर पन्द्रह दिन में क्वालिटी रिपोर्टिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा।

भांडागार का उपयोगकर्ता प्रत्येक भांडागार के लिए अलग मेकर तथा चैकर लगा सकता है मेकर को स्टॉक का चट्टेवार क्वालिटी–स्टेट्स अपडेट करना होगा तथा चैकर को इसे अनुमोदित कर हर पन्द्रह दिन में डब्लू.डी. आर. ए. को भेजना होगा।

मेकर को भांडागार में स्टॉक के उपचार की स्थिति अपडेट करनी होगी तथा चैकर को इसे अनुमोदित कर हर पन्द्रह दिन डब्लू.डी.आर.ए को भेजना होगा।

डब्लू.एम.एस को मार्च, 2020 में लगाया तथा चालू किया गया है।

रूपान्तरण येजना का क्रियान्वयन पूरा कर लिया गया है तथा सभी प्रणालियाँ अर्थात रिपोजिटरीज (एन.ई. आर.एल तथा सी.सी.आर.एल) डब्लू.डी.आर.ए के आई.टी. अनुप्रयोग, आनलाइन भांडागार पंजीकरण आदि पूरी तरह परिचालित हैं।

4.3.6 डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी/डी.आर

डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी/डी.आर प्रबंधन सलाहकार की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में डब्लू.डी.आर.ए डेटा तथा अन्य आई.टी सम्पदा के लिए प्राधिकरण ने जोखिम प्रबंधन अपनाया है।

डब्लू.डी.आर.ए अपने सम्पूर्ण आई.टी सोल्यूशन के लिए नोएडा से चलाई जा रही सी–डैक क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त डब्लू.डी.आर.ए ने हैदराबाद से चलाई जा रही सी.डी.ए.सी डिजास्टर रिकवरी (डी–आर) क्लाउड सेवाएँ किराए पर ली हैं ताकि सेवाओं की अनुपलब्धता की जोखिम समाप्त हो सके।

डब्लू.उी.आर.ए में स्टोरेज मीडिया से नियंत्रित बैकअप के लिए सी.डी.ए.सी बैकअप सेवाएँ ली हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में आवश्यक होने पर बैकअप डैटा लिया जा सके।

डब्लू.डी.आर.ए ने अपने कार्मिको हेतु ई–ऑफिस के लिए वी.पी.एन आधारित एक्सेस तथा वैब आधारित एक्सेस तथा वैब आधारित सिक्योर आधार क्रेडेंशियल आधारित एक्सेस उपलब्ध कराई है ताकि वे अन्य स्थान पर कंप्यूटर/लैपटॉप/स्मार्ट फोन का प्रयोग कर घर से काम कर सके तथा कार्यालय में किसी घटना की जोखिम कम हो सके।

डब्लू.डी.आर.ए ने भांडागारपालों अथवा अन्य विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा, करारों के रूप में प्राप्त बैंक गारंटियों/एफ.डी.आर के लिए अग्निरोधी शेल्फ व्यवस्था की है।

डब्लू.डी.आर.ए ने अपने परिसर के अन्दर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए हैं।

डब्लू.डी.आर.ए ने व्यवसाय निरंतरता योजना/डिजास्टर रिकवरी (बी.सी.पी/डी.आर) क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित की हैः–

- बी.सी.एम/बी.सी.पी समिति संबंधित हितधारकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर संसाधनों के आबंटन, प्राथमिकताएँ स्थापित करना तथा विवादों के निवारण तथा रणनीतिक मार्गदर्शन करेगी तथा समीक्षा उपलब्ध कराएगी।
- बी.सी.पी/डी.आर. आपातकाल रिस्पोंस टीम (ई.आर.टी) आई.टी रिकवरी योजना क्रियानिवत करने सहित क्षति मूल्यांकन, बचाव तथा मरम्मत परिचालन, बी.सी.पी. प्रक्रिया के अनुसार डी.सी.डी.आर को देखेगी। इसके अलावा यह समिति प्राथमिक तथा माध्यमिक स्थानों, का सिस्टम निराकरण नेटवर्क एवं अनुप्रयोग के मुद्दे देखेगी तथा मॉक ड्रिल आयोजित करेगी।
- क्षतिपूर्ति आकलन दल (डी.ए.टी) आपातकाल प्रबन्धन एवं रिकवरी का प्रबंधन एवं समन्वय का कार्य देखेगी तथा उपयुक्त हितधारकों के साथ सूचना साझा करेगी आपदा प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा क्षतिपूर्ति आकलन रिपोर्ट स्वीकार व्यापार निरंतरता योजना का निर्णय करेगी तथा संबंधित कर्मचारियों को शामिल करेगी।

अध्याय–V

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले

5.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले :

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में स्वीकृत तथा भरे गए पद निम्नानुसार है:

तलिका 5.1

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव	1	1 (व्यैक्तिक आधार पर विषेष सचिव के रूप में अपग्रेड)
2	निदेशक	3	1
3	अवर सचिव	2	1
4	उप निदेशक	9	2
5	सहायक निदेशक	8	2
6	अनुभाग अधिकारी	2	.
7	सहायक	12	1
8	लेखाकार	1	1
9	प्रधान निजी सचिव	1	1
10	निजी सचिव	2	2
11	स्टाफ फील्ड अधिकारी	1	.
12	निजी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड डी	2	1

5.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य।

निदेशक (प्रशासन और वित्त), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कोई मामला विचाराधीन अथवा लंबित नहीं था।

5.3 प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन।

श्री गणेश ए. बाकड़े, निदेशक, (प्रशासन एवं वित्त) ने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। श्री दीपक आर्य, उप निदेशक (विधि) तथा अवर सचिव (प्रभारी) (प्रशासन एवं वित्त) को केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री टी.के. मनोज कुमार, विशेष सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. ने वर्ष

2019–20 के दौरान अपीली अधिकारी के रूप में कार्य किया। यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण की वैबसाइट पर दर्शायी गई है। वर्ष 2019–20 में आर.टी.आई अधिनियम के अन्तर्गत 10 संदर्भ प्राप्त हुए जिनकी समय पर सूचना प्रदान की गई।

5.4 राजभाषा क्रियान्वयन।

प्राधिकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विशेष सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक क्रमशः 28 जून, 2019, 15 जुलाई, 2019,24सितम्बर, 2019, तथा 27 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की गई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दक्षिण दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों दक्षिण दिल्ली–110003 नराकास समूह बनाया गया था। समूह की प्रथम बैठक भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक की अध्यक्षता में संस्थान में आयोजित की गई।

राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देने तथा कार्यालय में राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने हेतु 12 जुलाई, 2019 तथा 6 मार्च, 2019 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिनमें प्राधिकरण के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियो ने भाग लिया। 6 मार्च, 2020 को एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें प्राधिकरण के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा ट्रांसलेशन टूल (टूल्ज) पर 29 मई, 2019 तथा 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित कार्यशाला में प्राधिकरण के कार्मिकों ने भाग लिया।

प्राधिकरण द्वारा 16 से 27 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे 'सुलेख', 'कहानी पूरी करें' तथा मुहावरा प्रतियोगता आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ एन.सी.यू.आई. परिसर में, जहॉ प्राधिकरण कार्यालय स्थित है, अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण से शुरू किया गया। प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए स्थल पर उसी समय स्वरचित कविता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तथा कर्मचारियों का प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

प्राधिकरण के अधिकारियो एवम् कर्मचारियों ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका ''खाद्य भारती'' तथा केन्द्रीय भंडारण निगम की हिंदी पत्रिका ''भंडारण भारती'' में प्रकाशन हेतु, नियमित रूप से कविताएँ तथा लेख भेजे।

प्राधिकरण के कार्मिकों ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 27 सितम्बर, 2019 तथा 31 दिसम्बर, 2019 को आयाजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हुए डब्लू.डी.आर.ए के अधिकारी एवं कर्मचारीगण

5.5 स्वचछता पखवाड़े का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राधिकरण में 11 सितम्बर, 2019 से पहली अक्तूबर, 2019 तक 16 फरवरी, 2020 से 29 फरवरी 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। प्राधिकरण के कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्रों जैसे शाहपुरजट गांव, बस स्टॉप, पार्क, सरकारी विद्यालय, एन.जी.ओ तथा कार्यलय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। प्राधिकरण ने लोगों को दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने पर बल दिया। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जनसामान्य को जागरूक करने हेतु विद्याालय, बस स्टॉप, पार्क में सूती कपड़े के थैले बाँटे गए। स्वच्छता अभियान के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने सरकारी विद्यालय का दौरा कर छात्रों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया तथा प्लास्टिक के थैलियों को हटाने के लिए सूती कपड़े के थैले वितरित किए। प्राधिकरण ने अपने कर्मिको, जनसामान्य तथा स्कूल के अधिकारियों ने स्वच्छता के महत्व पर व्याख्यान दिए। दैनिक जीवन में साफ–सफाई के महत्व के संबंध में बच्चों के लिए क्विज आयोजित की गई।

इस दिशा में प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। मल्टी टास्क तथा सफाई कर्मचारियों का प्रोत्साहित किया गया।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने खाद्य और सार्वपनिक वितरण विभाग द्वारा 17 सितम्बर, 2019 तथा 20 जनवरी, 2020 स्वच्छता पखवाड़े से संबंधित बैठक मे भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़े की शुरूआत में प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए डब्लू.डी.आर.ए के अधिकरी एवं कर्मचारी

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान डब्लू.डी.आर.ए. के कर्मचारी मॉडल विद्यालय में

5.6 ओडिशा मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में योगदान

मई, 2019 में ओड़िशा में आए 'फनी' तूफान से वहॉ जान माल की भारी हानि हुई थी । तूफान से प्रभावित ओड़िशा के लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास हेतु अध्यक्ष की अपील पर प्राधिकरण के 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आपदा में सहायता पहुँचाने हेतु कुल 53,100/– रू (तरेपन हजार सौ रू केवल) की राशि का योगदान ओड़िशा के मुख्य मंत्री राहत कोष में दिया। इस राशि का चैक डब्लू.डी.आर.ए के अध्यक्ष द्वारा 31 मई, 2019 को प्राधिकरण के सदस्य तथा विशेश सचिव की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित रेजीडेंट कमिश्नर, ओडिशा सरकार, का सौंपा गया।

5.7 प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण

प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अपग्रेडिड ''इ–कार्यलय'' सोफ्टवेअर के प्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समय–समय पर भांडागारों के पंजीकरण के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रयोग के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पोर्टल में नए सुधारों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया।

5.8 वर्ष 2019–20 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे

वर्ष 2019–20 के लिए प्राधिकरण को स्वीकृत बजट के विरूद्ध अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त 1279.76 लाख रू थे जिसमें 2018–19 से आगे लाए गए एवं खर्च न हुए 52.12 लाख रू भी शामिल है। वर्ष में वास्तविक व्यय 1207.38 लाख रूपए रहा। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुपयोग न हुई ओरिएंटल बैक कामर्स (ओ.बी.सी) से अनुदान पर प्राप्त ब्याज (6.14लाख)रू सहित 130.64 लाख रू की राशि थी जिसे अगले वित्त वर्ष 2020–21 में अग्रेनीत किया गया है।

वर्ष 2019–20 के लिए लेखापरीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) के माध्यम से प्राप्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के 31.03.2020 को समाप्त वर्ष वित्तीय विवरण लेख अनुलग्नक–I एवं II पर संलग्न है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रमुख टिप्पणी नहीं की गई है। तथापि सी.ए.जी की अलग आडिट रिपोर्ट पर प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ अनुलग्नक–III पर दी गई हैं।

5.9 डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग

डब्लू.डी.आर.ए एक सशक्त डिजिटल सगठन है। यह कागज रहित कार्यालय चलाता है। भांडागारों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है। ई–फाइल प्रक्रिया के लिए 01.01.2018 से ई–ऑफिस शुरू किया गया। जून, 2018 से ऑनलाइन शिकायत बुकिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्ष 2019–20 में डब्लू.डी.आर.ए के कार्यालय में वीडियों कांफ्रेसिंग सुविधाएँ शुरू की गई। आई.टी. के अधिकाधिक प्रयोग से कोविड–19 महामारी के दौरान कार्य करने में सहायता मिली है।

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

STATEMENT OF ACCOUNTS

FOR THE PERIOD ENDING 31st MARCH, 2020

NCUI BUILDING
4th Floor, 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM A
(See Rule 3)
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		**277,184,256**	**262,968,992**
Corpus/Capital Fund	1	**174,558,567**	**176,913,637**
Corpus/Capital Fund(Opening)		176,913,637	213,785,613
EXCESS/DEFICIT OF INCOME & EXPENDITURE		-2,355,070	-36,871,976
Reserve and Surplus	2	**0**	**0**
Earmarked /Endowment Funds	3	**0**	**0**
Secured Loans and Borrowings	4	**0**	**0**
Unsecured Loans and Borrowings	5	**0**	**0**
Deferred Credit Liabilities	6	**0**	**0**
Current Liabilities and Provisions	7	**102,625,689**	**86,055,355**
ASSETS		**277,184,256**	**262,968,992**
Fixed Asset	8	**176,763,215**	**187,063,227**
Fixed Asset		176,763,215	187,063,227
Capital Work in Progress		0	0
Investment- From earmarked/endowment funds	9	**0**	**0**
Investment-Others	10	**0**	**0**
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	**100,421,041**	**75,905,765**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		**0**	**0**
Significant Accounting Policies	24	0	0
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	25	0	0

Place: New Delhi
Date : 29.06.2020

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM B
(See Rule 3)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
(A) INCOME		129,713,514	77,092,204
Income from sales/services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	127,976,000	76,116,000
Fees/Subscriptions	14	0	0
Income from Investment (Income on Investment from Earmarked/Endowment fund transferred to funds)	15	0	0
Income from Royalty,Publications etc.	16	0	0
Interest Earned	17	641,364	724,980
Other Income	18	1,096,150	251,224
Increase/(Decrease) In stock of finished goods and work in progress	19	0	0
(B) EXPENDITURE		132,068,584	113,964,180
Establishment Expenses	20	29,674,662	27,863,453
Other Administrative Expenses etc.	21	83,915,065	66,598,808
Expenditure on Grants Subsidies etc.	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net total at the year end corresponding to schedule 8)	8	18,478,857	19,501,919
Balance being excess/(deficit) of income over expenditure (A-B)		-2,355,070	-36,871,976
Transfer to Special Reserve		0	0
Transfer to/from General Reserve		0	0
Balance being surplus/(deficit) carried to Corpus/Capital Fund		-2,355,070	-36,871,976
Significant accounting policies	24	0	0
Contingent liabilities and Notes to Accounts	25	0	0

Manoj Mohan & Associates, Chartered Accountants, FRN 009195C, NOIDA

Place: New Delhi
Date : 29.06.2020

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	0	0
20000.01 Corpus/Capital Fund (Opening Balance)	176,913,637	213,785,613
Add. Contribution towards Corpus/Capital Fund	0	0
Add/Deduct. Bal of net income/expenditure transfer from income and expenditure account	-2,355,070	-36,871,976
Balance at the Year End	174,558,567	176,913,637

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
CA
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-2 RESERVE AND SURPLUS AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
21000.01 Capital Reserve	**0**	**0**
As Per Last Account	0	0
Addition during the Year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.02 Revenue Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.03 Special Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition during the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.04 General Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
TOTAL	**0**	**0**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance of the Funds	**0**	**0**
(b) Addition to the Fund	**0**	**0**
i. Donations/Grants	0	0
ii. Income from Investment made on account of funds	0	0
iii. Other Addition	0	0
Total c (a+b)	**0**	**0**
(d) Utilization/Expenditure towards objective of funds	**0**	**0**
(i) Capital Expenditure	**0**	**0**
Fixed	0	0
Others	0	0
(ii) Revenue Expenditure	**0**	**0**
Salaries, Wages and Allowances etc	0	0
Rent	0	0
Other Administrative expenses	0	0
Utilization/Expenditure Total (d)	**0**	**0**
22000.01 Balance at the Year End (c-d)	**0**	**0**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-4 SECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
23000.01 Central Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.02 State Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03 Financial Institution (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03A Term Loans	0	0
23000.03B Interest accrued and due on term loan	0	0
23000.04 Secured Loan from Banks	**0**	**0**
23000.04A Secured Term Loans	0	0
23000.04B Interest accrued and due on term loan (Bank)	0	0
23000.04C Other Loans (Bank)	0	0
23000.04D Interest accrued and Due (Others)	0	0
23000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
23000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
23000.07 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

FRN. 009195C NOIDA Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
24000.01 Central Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.02 State Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.03 Financial Institution (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04 Banks (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04A Term Loans (Unsecured)	0	0
24000.04B Other Loans (Unsecured)	0	0
24000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
24000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
24000.07 Fixed Deposits	**0**	**0**
24000.08 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
25000.01 Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Assets	0	0
25000.02 Others	0	0
TOTAL	0	0
Note: Amount due within one year	0	0

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
26000.01 Current Liabilities	**96,682,464**	**84,280,280**
26000.01A Acceptance	0	0
26000.01B Sundry Creditors	**79,321,104**	**62,644,639**
26000.01BA Sundry Creditors for Goods	0	0
26000.01BB Sundry Creditors Others	79,321,104	62,644,639
26000.01BB1 Sundry Creditors Others (BECIL)	1,436,064	1,436,064
26000.01BB2 Sundry Creditors Others (Post Master)	0	0
26000.01BB3 Sundry Creditors Others (Others)	3,558,108	4,724,299
26000.01BB4 Sundry Payble	74,326,932	56,484,276
26000.01FG Other Liabilities	0	0
26000.01FGA PM/CM Relief Fund	0	0
26000.01C Advances Received	**0**	**0**
26000.01D Interest Accrued but not due on	**0**	**0**
26000.01DA Secured Loans/Borrowings	0	0
26000.01DB Unsecured Loans/Borrowings	0	0
26000.01E Statutory Liabilities	**814,282**	**1,532,919**
26000.01EA Statutory Liability-Overdue	0	0
26000.01EB TDS	814,282	1,532,919
26000.01EBA TDS-Salary	502,484	399,152
26000.01EBB TDS-Others	311,798	1,032,184
26000.01EBC GST-TDS	0	101,583
26000.01F Other Current Liabilities	**16,547,078**	**20,102,722**
26000.01FA Security Deposit	11,911,278	13,259,784
26000.01FB Earnest Money Deposit (EMD)	10,000	10,000
26000.01FC Stale Cheque Pending for Re-issue	3,000	20,738
26000.01FD Salary Payable	2,066,308	2,416,814
26000.01FE Withheld from Party's Bills	0	1,961,021
26000.01FF Leave Salary Contribution Payable	2,556,492	2,434,365
26000.02 Provision for Expenses	**5,943,225**	**1,775,075**
26000.02A Provision for Taxation	0	0
26000.02B Provision for Gratuity	276,291	292,254
26000.02C Provision for Superannuation/Pension	0	0
26000.02D Provision for Accumulated Leave Encashment	285,696	249,980
26000.02E Provision for Trade Warranties/Claims	0	0
26000.02F Provisions for Unpaid Expenses	**5,381,238**	**1,232,841**

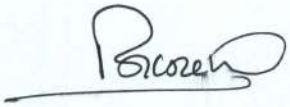

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
26000.02FA Provisions for Telephone Expenses	26,711	18,648
26000.02FB Provisions for Audit Fee	253,100	160,620
26000.02FD Provisions for Inspection system in Warehouses	700,000	0
26000.02FE Provisions for Newspapers & Periodicals	15,115	2,021
26000.02FF Provisions for Training of Warehouseman	2,360,000	434,659
26000.02FG Provisions for Miscellaneous Expenses	560,002	143,812
26000.02FH Provision for Professional Charges	73,440	451,866
26000.02FJ Provision for Repair & Maintenance Exp.	22,300	21,215
26000.02FK Provisions for Farmers Awareness	1,370,570	0
TOTAL	**102,625,689**	**86,055,355**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

FIXED ASSETS As on 31.03.2020

Schedule - 8

S. No.	Description	Factor	Cost/ valuation as at beginning of the year	Addition (more than 180 days)	Addition (less than 180 days)	Deduction during the year	Cost/ valuation at the year end	Depreciation as at beginning of the year	Depreciation during the year	Depreciation on deduction during the year	Total depreciation upto the year end	NET as at the current year end (WDV)	NET as at the previous year end (WDV)
1	A. Fixed Asset:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a). Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	b) Leasehold Land	56 Years	174200000	-	-	-	174200000	9332144	3110714	-	12442858	161757142	164867856
8	c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	d) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	19357676	-	-	-	19357676	15486140	3871535	-	19357675	1	3871536
10	3. Plant, Machinery & Equipments	15%	5094153	32600	-	2600	5124153	2233471	658198	2599	2889070	2235083	2860682
11	4. Vehicles	15%	703433	-	-	-	703433	703432	-	-	703432	1	1
12	5. Furniture & Fixtures	10%	5138225	19093	-	1550	5155768	1386556	509635	1549	1894642	3261126	3751669
13	6. Office Equipment	15%	683674	-	245000	-	928674	344549	117476	-	462025	466649	339125
14	7. Computer & Peripheral	40%	3026848	-	-	95904	2930944	2402567	442979	95902	2749644	181300	624281
15	8. Electric Installation	15%	122321	-	-	-	122321	108010	2935	-	110945	11376	14311
16	9. Library Books	40%	91532	8482	2085	-	102099	91304	10553	-	101857	242	228
17	10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11. Software	40%	19191824	2518944	5352645	-	27063413	8458286	9754832	-	18213118	8850295	10733538
19	Total of A	-	227609686	2579119	5599730	100054	235688481	40546459	18478857	100050	58925266	176763215	187063227
20	B. Capital Work in Progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	**Total (A + B)**	-	**227609686**	**2579119**	**5599730**	**100054**	**235688481**	**40546459**	**18478857**	**100050**	**58925266**	**176763215**	**187063227**

MOHAN & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN. 009195C NOIDA

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
11000.01 In Government Securities	0	0
11000.02 Other Approved Securities	0	0
11000.03 Share	0	0
11000.04 Debentures and Bonds	0	0
11000.05 Subsidiaries and Joint Venture	0	0
11000.05 Other (Fixed Deposit)	0	0
TOTAL	0	0

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-10 INVESTMENT - OTHERS AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
12000.01 In Government Securities	0	0
12000.02 Other Approved Securities	0	0
12000.03 Shares	0	0
12000.04 Debentures and Bonds	0	0
12000.05 Subsidiaries and Joint Ventures	0	0
12000.06 Others	0	0
TOTAL	0	0

MANOJ MITHAL & ASSOCIATES
CA
FRN. 008195C
NOIDA
Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-11 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. AS ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(A) 13000.01 Current Assets	**95,391,291**	**75,053,652**
13000.01A Inventories	**0**	**659,642**
13000.01AA Stores and Spares	0	659,642
13000.01AA2 Printing & Stationery in Stock	0	659,642
13000.01AB Loose Tools	0	0
13000.01AC Stock in Trade	0	0
13000.01AD Finished Goods	0	0
13000.01AE Work in Progress	0	0
13000.01AF Raw Materials	0	0
13000.01B Sundry Debtors	**0**	**0**
13000.01C Cash Balance in Hand (Including Cheque/Draft and Imprest)	**7,165**	**0**
13000.01CA Imprest Cash	0	0
13000.01CB Temporary Advance	7,165	0
13000.01CC Cheque/Draft in Hand	0	0
13000.01D Bank Balance	**95,384,126**	**74,394,010**
13000.01DA With Schedule Banks	95,384,126	74,394,010
13000.01DAA On Current Account (Oriental Bank of Commerce)	13,063,891	5,212,135
13000.01DAB On Deposit Account (Includes Margin Money)	542,234	0
13000.01DAC On Saving Account (Canara Bank)	81,778,001	69,181,875
13000.01DB With Non- Schedule Banks	0	0
13000.01DBA On Current Account	0	0
13000.01DBB On Deposit Account	0	0
13000.01DBC On Saving Account	0	0
13000.01E Post Office Saving Account	**0**	**0**
(B) 13000.02 Loan,Advances and Other Assets	**5,029,750**	**852,113**
13000.02A Loans	**220,727**	**0**
13000.02AA Loan to staff	220,727	0
13000.02AA1 TA Advance	4,727	0
13000.02AA2 LTC Advance	216,000	0
13000.02AB Other Entities Engaged in Activities/Objective Similar to That Entity	0	0
13000.02AC Other	0	0
13000.02B Adv & Other Recoverable in Cash/ Kind or for Value to be Received	**323,817**	**324,928**
13000.02BA On Capital Account	0	0
13000.02BB Prepayments (Prepaid Expenses)	312,227	307,676
13000.02BC Security Deposit Made by WDRA	0	0

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
13000.02BD EMD made by WDRA	0	0
13000.02BE Advance to Others (Suppliers)	11,590	17,252
13000.02C Income Accrued	**4,485,206**	**527,185**
13000.02CA On Investment from Earmarked/Endowment Fund	0	0
13000.02CB Accrued on Investment - Others	0	0
13000.02CC Accrued on Loan and Advances	0	0
13000.02CD Others (Includes Income due unrealized)	0	0
13000.02CE Accrued Interest	4,485,206	527,185
13000.02D Claim Receivable	**0**	**0**
TOTAL (A+B)	**100,421,041**	**75,905,765**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-12 INCOME FROM SALES/SERVICES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (ir

Name	Current Year	Previous Yea
30000.01 Income from Sales	**0**	
30000.01A Sales of Finished Goods	0	
30000.01B Sale of Raw Material	0	
30000.01C Sale of Scraps	0	
30000.02 Income from Services	**0**	
30000.02A Labour and Processing Charges	0	
30000.02B Professional/Consultancy Charges	0	
30000.02C Agency Commission and Brokerage	0	
30000.02D Maintenance Services (Equipment/Property)	0	
30000.02E Others	0	
TOTAL	**0**	

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-13 GRANT/SUBSIDIES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
31000.01 Central Government (Min. of CAF & PD)	127,976,000	76,116,000
31000.01A Grant In Aid for Salary Head	33,024,000	29,116,000
31000.01B Grant In Aid for General Head	94,952,000	47,000,000
31000.02 State Government	0	0
31000.03 Government Agencies	0	0
31000.04 Organisation	0	0
31000.05 International Organisation	0	0
TOTAL	**127,976,000**	**76,116,000**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
32000.01 Entrance Fee	0	0
32000.02 Fees/Subscriptions	0	0
32000.03 Seminar/program Fees	0	0
32000.04 Consultancy Fees	0	0
32000.05 Inspection Agency Empanelment Fees	0	0
32000.06 Other Fees	0	0
TOTAL	0	0

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
33000.01 INTEREST FROM INVESTMENT (Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33000.01A On Government Securities	0	0
33000.01B Other Bonds/Debentures	0	0
33000.02 Dividends	**0**	**0**
33000.02A On Shares	0	0
33000.02B On Mutual Fund and Securities	0	0
33000.03 Rents	**0**	**0**
33000.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL (Transferred to Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33001.01 INTEREST FROM OTHER INVESTMENT	**0**	**0**
33001.01A Interest on Government Securities	0	0
33001.01B Interest on other Bonds/Debentures	0	0
33001.02 Dividends from Investment	**0**	**0**
33001.02A Dividend on Shares	0	0
33001.02B Dividend on Mutual Fund and Securities	0	0
33001.03 Rent Received	**0**	**0**
33001.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**
GRAND TOTAL	**0**	**0**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.

Name	Current Year	Previous Year
34000.01 Income from Royalty	0	0
34000.02 Income from Publications	0	0
34000.03 Others	0	0
TOTAL	0	0

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-17 INTEREST EARNED FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
35000.01 Interest on Term Deposits	**27,097**	**0**
35000.01A From Schedule Bank	27,097	0
35000.01B From Non- Schedule Bank	0	0
35000.01C From Institutions	0	0
35000.01D From Others	0	0
35000.02 Interest on Saving Accounts	**614,267**	**724,980**
35000.02A From Schedule Bank	614,267	724,980
35000.02A1 Interest from OBC (Savings)	614,267	724,980
35000.02A2 Interest from Canara Bank (Savings)	0	0
35000.02B From Non-Schedule Bank	0	0
35000.02C Interest from Post Office Saving Accounts	0	0
35000.02D Interest Others	0	0
35000.03 Interest from Loans	**0**	**0**
35000.03A Int. on loan from Employee/Staff	0	0
35000.03B Int. on loan (Others)	0	0
35000.04 Interest on Others (OBC Current A/c)	**0**	**0**
TOTAL	**641,364**	**724,980**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-18 OTHER INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
36000.01 Profit on Sale/Disposal of Assets	**0**	**0**
36000.01A Profit on Sale/Disposal of Owned Assets	9847	0
36000.01B Profit on Sale/Disposal of assets acquired out of Grants or received free of cost	0	0
36000.02 Income from Export Incentives Realized	**0**	**0**
36000.03 Fee for Miscellaneous Services	**0**	**0**
36000.04 Prior Period Income	**0**	**-27,359**
36000.05 Excess Provision/Liabilities Written Back	**1,080,513**	**278,463**
36000.06 Miscellaneous Income	**5,790**	**120**
36000.07 Receipts against Penalty	**0**	**0**
36000.07A Penalty - Repository	0	0
36000.07B Penalty - Warehousemen	0	0
36000.07C Penalty - Others	0	0
TOTAL	**1,096,150**	**251,224**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-19 INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
(b) Less Opening Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	0	0

ANAND JAIN MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
40000.01 Salary and Wages	24,568,211	23,433,365
40000.01A Basic Pay	19,026,374	19,967,675
40000.01B Dearness Allowance (DA)	1,811,384	977,747
40000.01C Transport Allowance	822,263	619,005
40000.01D HRA	2,771,995	1,744,194
40000.01E Deputation Expenses	136,195	124,744
40000.02 Allowances and Bonus	207,630	166,098
40000.03 Employer Contribution to Provide Fund	215,714	92,907
40000.04 Contribution to Other Fund	0	0
40000.05 Medical Facility	140,497	194,851
40000.06 Expenses on Employment Retirement and Terminal Benefits	19,753	86,092
40000.06A Retirement Benefit-Gratuity (WDRA)	-15,963	113,982
40000.06B Retirement Benefit-Leave Encasement (WDRA)	35,716	-27,890
40000.07 Other Employee Expenses	3,509,277	3,006,310
40000.07A Leave Encashment	649,826	219,708
40000.07B Leave Salary Contribution	2,556,492	2,315,301
40000.07C Leave Travel Concession	302,959	471,301
40000.08 Other Expenses	26,500	19,000
40000.09 Employer Contribution to NPS/Pension	914,542	793,386
40000.10 Gratuity Contribution (On Deputation)	72,538	71,444
TOTAL	**29,674,662**	**27,863,453**

Manoj Mohan & Associates, Chartered Accountants, FRN 009195C, NOIDA

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-21 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.

Name	Current Year	Previous Year
41000.01 Purchase	0	12,314
41000.02 Labour and Processing Expenses	0	0
41000.03 Cartage and Carriage Inward	0	0
41000.04 Electricity and Water Charges	1,157,220	1,107,257
41000.05 Insurance	12,977	13,601
41000.06 Repairs and Maintenance	767,638	8,762,526
41000.07 Office Expenses	299,575	284,913
41000.08 Rent, Rates, Taxes	6,250	236,956
41000.09 Vehicles, Running and Maintenance	119,064	100,172
41000.10 Postage, Telephone and Communication Charges	730,233	658,277
41000.11 Printing and Stationery	1,109,650	525,782
41000.12 Travelling and Conveyance Expenses	2,651,082	3,084,297
41000.12A TA/DA Expenses	1,678,085	2,198,700
41000.12B Local Conveyance Expenses	50,690	26,431
41000.12D Taxi Hiring Charges	922,307	859,166
41000.13 Expenses on Training and Awareness Programme / Seminar	13,151,638	9,432,923
41000.13A Training of Warehousemen	5,343,250	3,187,500
41000.13B Awareness Programme of Farmers	7,802,463	6,180,061
41000.13C Seminar Conference and Workshop	5,925	65,362
41000.14 Subscription Expenses	3,040	0
41000.15 Sponsorship Fees	0	0
41000.16 Auditors Remuneration	242,480	185,170
41000.17 Expenses on System Inspection of Warehouse	13,283,999	9,850,500
41000.18 Professional Charges	6,089,137	10,128,962
41000.19 Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0
41000.20 Irrevocable Balance Written-Off	0	0
41000.21 Studies	14,363,085	12,784,660
41000.21A Technical Study	0	1,000,000
41000.21B Transformation plan for WDRA	14,363,085	11,784,660
41000.22 Foundation Day Celebration Expenses	0	16,418
41000.23 Outsource Manpower (DEO) Expenses	4,891,860	4,910,683
41000.24 Advertisement and Publicity	534,803	2,340,903
41000.25 Legal Expenses	0	0
41000.26 Bank Charges	177	0
41000.27 Other Expenses	470,007	299,835

FRN. 009195C
NOIDA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
41000.27A Misc Exp	470,006	299,835
41000.27B Loss on disposal/sale of owned Assets	1	0
41000.28 Newspaper & Periodicals	85,786	61,984
41000.29 Paise Rounded off	0	0
41000.30 Prior Period Expenses	8,962,540	1,800,675
41000.31 Software O & M expenses	6,997,074	0
41000.32 CLOUD SERVICE EXPENSES	7,985,750	0
TOTAL	**83,915,065**	**66,598,808**

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-22 EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 42000.01 Grant given to Institution/Organisations	0	0
(b) 42000.02 Subsidies given to Institution/Organisation	0	0
TOTAL	0	0

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-23 INTEREST PAID FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2020

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 43000.01 Interest Paid on Fixed Loans	0	0
(b) 43000.02 Interest Paid On other Loans	0	0
(c) 43000.03 Interest Paid - Others	0	0
TOTAL	0	0

FRN 008195C
NOIDA
Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010.

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2019-20.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

i. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

ii. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 25 - NOTES TO ACCOUNTS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2020.

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007,the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), all receipts of Authority will be credited to Consolidated Fund of India (CFI) under the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of the Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and accreditation agencies/inspection agencies and interest earned thereon from Canara Bank etc. are being deposited in Canara Bank account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'. No expenditure is being done from this amount deposited in Canara Bank.

   The amount received on account of warehouse registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest thereon from Canara Bank, receipts from issue of NWR books, renewal fee etc. have been shown under the headings "Interest received", "Fees & Subscription" and "Other Income" in the Receipts and Payments Account.

   The Authority had written to the Department of Food and Public Distribution (DF&PD) to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs about the deposit of receipts similar to that of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), the DF&PD may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The DF&PD had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, UPSC etc. WDRA again requested the DF&PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy the specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India having their expenditure charged to the Consolidated Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

   The DF&PD had taken up the issue with the Department of Economic Affairs (DoEA), GOI. The DoEA vide its letter dated 16.07.2018 informed the accounting procedure to adopt by WDRA in this regard which suggest that all other receipts in the form of fees, income, charges etc. would be deposited in the WDRA Fund in Public Account of India after meeting operational requirements on monthly basis. The grants from Government would also be deposited in this Fund. For meeting its requirements , WDRA shall withdraw from this Fund in Public Account after making requisition to CA/CCA of DF&PD.

   WDRA agreed to the proposed accounting procedure of DEA to constitute WDRA Fund in Public Account of India and proposed to deposit all its reciepts in WDRA Fund Public Account of India ill WDRA becomes self-sufficient. WDRA will utilise grants received from the Government for the expenditure on its activities and thereafter withdraw from WDRA Fund for any additional requirement by making request to CCA/CA of DFPD. On acquiring self sufficiency, WDRA will meet its expenses from the receipts and deposit(except refundable security deposit/EMD) the balance to WDRA Fund in Public Account every month.Further, WDRA has not agreed for deposit of Government Grants to Public Accounts but to deposit in separate bank account maintained by WDRA for deposit of Govt. Grants and for receipts. It is also agreed by WDRA to deposit all sum realised by way of penalties and fines to Consolidated Fund of India (CFI). However operationalisation of this requires the amendment to W(D&R) Act, 2007. In this regard. the proposal for amendment to W(D&R) Act, 2007 is already submitted to the DFPD. Till then the penalties and fines shall be deposited in separate bank account maintained by WDRA and transfer to CFI after notification of said amendment to W(D&R) Act.

   The reply of the DF&PD is awaited.

3. The cost of stationary and printing being consumables have been charged to revenue expenditure.

4. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the functions of the Authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate whereas it is kept as fixed assets in the Books of Account and depreciation thereon is charged to Income & Expenditure Account.

5. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of Income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

PRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

6. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared as per Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

Establishment Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2019-20	For the Year 2018-19
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	2,96,74,662	2,78,63,453
Less: Computer rent of Dr. B. B. Pattanaik adjusted from his pay	15,640	NIL
Less:- Closing Establishment Liabilities	53,61,453	49,90,571
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	2,43,13,209	2,28,72,882

Administrative Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2019-20	For the Year 2018-19
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	8,39,15,065	6,65,98,808
Less:- Closing Administrative Liabilities	1,34,84,904	1,25,99,523
Less:-Opening Administrative Assets	3,01,955	1,09,204
Net Payment	7,01,28,206	5,38,90,081

The WDRA has entered into Memorandum of Understanding (MOU) on 30th March, 2016 with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupation) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore. Out of Rs 17.42 Crore, Rs. 11.32 Crore has been contributed to Corpus fund for Agricultural Development through Cooperatives and Rs.6.10 crore is paid as lease premium.

8. As per MOU dated 30th March, 2016, it has been agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/ shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed by NCUI or for any other reason whatsoever, then in the said eventuality, the NCUI shall pay to the WDRA by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with the MOU. Necessary lease deed between NCUI and WDRA has been registered on 1st February, 2019.

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

9. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial valuation report . Assumption considered in the valuation are as under:-

1.	**Membership Data**	
	Number of Members	2
	Total monthly salary	Rs. 1.54 Lakh
	Average Past Service (Years)	3.13
	Average age (Years)	51.01
2.	**Valuation Method**	Projected Unit Credit Method
3.	**Actuarial Assumption**	
	Mortality Rate	100% of IALM (2006-08) rates have been assumed
	Discount Rate	6.52 % p.a.
	Salary Escalation	8%
	Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

10. The fully depreciated assets have been kept with written down value (WDV) of Rs. 1/- to recognise in the books of accounts.

11. Interest earned as shown in Schedule 17 is interest received in the bank account maintained with the Oriental Bank of Commerce Bank.

12. Security Deposit received from the warehousemen in the form of FDRs/Bank Guarantees as on 31.3.2020 is Rs. 41.44 crore.

13. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/re- cast wherever necessary.

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

FORM-C
See rule-3

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

4th Floor, NCUI Building, August kranti Mrg, Hauz Khas, New Delhi

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31.03.2020

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. OPENING BALANCES			**I. EXPENSES**		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses *	24,313,209	22,872,882
b)Bank Balance		-	(Corresponding to Schedule 20)		
i) In Current Account (OBC)	5,212,135	28,508,134	b) Administrative Expenses**	70,128,206	53,890,081
ii)In Deposit Account			(Corresponding to Schedule 21)		
iii) Saving Account (Canara Bank)	69,181,875	48,387,213	II. Payments made against funds for various projects		
II. GRANT RECEIVED			III. Investments and deposits made		
a) From Govt. of India			a) Out of Earmarked/Endowment Funds		
i) In Salary Fund	33,024,000	29,116,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
ii)In General Fund	94,952,000	47,000,000	IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress		
b)From State Govts.	-		a) Purchase of Fixed Assets	8,178,849	10,627,173
c) From Other Sources (details)			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	
(Grants for capital and revenue exp. To be	-		V. Refunds of Surplus Money/Loans		
shown separate amt.)	-		a) To the Govt. Of India	-	
III. INCOME FROM SALES & SERVICE			b) To the State Govt.	-	
a) Income from Sales			c) To other Providers of Funds	-	
b) Income from Service			VI. Interest Paid		
IV. INCOME FROM INVESTMENT			VII. Other Payments		
a) Earmarked/Endowment Funds			- Advance to Others (Suppliers)	538	6,200
b) Own Funds (Other Investment)			- Prepayments	306,506	287,884
V. INCOME FROM ROYALTY ETC.			-TA Advance	4,727	
a) Royalty			-LTC Advance	213,900	-
b)Publication			-Other Advance	-	
c)Others			-Temporary Advance	7,165	
VI. INTEREST RECEIVED			-Temporary Advance-refundable	-	3,014
a) On Term Deposit	-		-Refund of EMD	-	
b) On Bank Deposits (Savings)			-Refund of Security Deposit	1,348,506	62,797
i) OBC	614,267	724,980	- Payment to NPS	-	
ii) Canara Bank	1,126,928	3,494,694	-Paise Rounded off	-	
iii) Other Banks	-		-Refund of Warehouse/Inspection Agency Reg/	125,000	440,000
c) On Loans and Advances			Renewal Fees(Sundry Payable)		
d) On Others			-Stock in trade (NWR & Stationery)	-	659,642
VII. FEE & SUBSCRIPTIONS			-Payment to Other Opening Current Liability	17,008,177	11,812,745
i)Enterance Fee	2,000,000	-			
ii)Annusl Fee/Subscription	100,000	4,000,000	VIII. Closing Balances		
iii)Warehouse/Inspection Agency Reg/Renewal Fees	10,771,166	17,500	a) Cash in Hand	-	
iv)Seminar Prog. Fee	-		b) i) In current Accounts (OBC)	13,063,891	5,212,135
v)Consultancy Fee	-		iii) In Deposits Accounts(Fixed Deposit)	542,234	
vi)Inspection Agency Empannelment Fee	-	-	iii) Saving Accounts (Canara Bank)	81,778,001	69,181,875
vii)Other Fee	30,000	13,615,001			
VIII. OTHER INCOME					
i) Misc Receipts	6,538	165,264			
ii) EMD	-				
iii) Security Deposit	-				
iv) Stale cheque	-	8,000			
v) Refund of Advance		-			
TA Advance	-	15,000			
LTC Advance	-				
Other Advance	-	1,628			
Temporary Advance	-	3,014			
Total	**217,018,909**	**175,056,428**	**Total**	**217,018,909**	**175,056,428**

*refer Note No. 8 of Schedule 25
**refer Note No. 8 of Schedule 25

दीपक आर्य/DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्र. एवं वित्त) (प्रभारी)/Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
CHAIRMAN (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2020 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38(2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष की लिए डब्ल्यू० डी० आर० ए० के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व डब्ल्यू डी आर ए के प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. इस अलग रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखाकरण प्रक्रियाओं, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों के संदर्भ में शामिल की गई हैं। विधि के अनुपालन,नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा कुशलता–सह–निष्पादन पहलू, यदि कोई है, के बारे में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टो /सी. ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण किसी तरह की गड़बड़ी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन और राशियों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जाँच शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ii तुलन पत्र, आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii हमारे मतानुसार लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है कि डब्ल्यू०डी०आर० ए० द्वारा समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य संबंधित रिकार्ड भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 38(1) के अंतर्गत रखे गए हैं।

iv हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

क. तुलन पत्र

देयताएँ

चालू देयताएँ प्रावधान (अनूसूची–7): 10.26 करोड़ रू

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 1.31 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी तथापि प्राधिकरण ने न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।

ख. आय एवं व्यय

आय

आय–अनुदान एवं सब्सिडी (अनुसूची–13) 12.80 करोड़ रू

डब्लू.डी.आर.ए. ने वर्ष 2019–2020 के दौरान 0.82 करोड़ रूप्ए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी। अधिप्राप्ति के लिए 0.82 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया।

इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी / संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।

ग. सामान्य

प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 7.43 करोड़ रू की राशि है जिसे लेखा महानियंत्रक की सलाह के अनुसार प्रमुख शीर्ष '' 0.408–खाद्य भंडारण तथा भांडागारण के नीचे लघु शीर्ष'' 105–भांडागारण विकास तथा विनियमन प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत भारत समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। प्राधिकरण ने इस मामले को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ उठाया था और सुझाव दिया गया था कि शुल्क, आय एवं प्रभारों के रूप में अन्य सभी 'प्राप्तियों को मासिक आधार पर परिचालन आवश्यकताऐं पूरी करने के पश्चात् भारत के सरकारी लेखा मै डब्लू.डी.आर.ए निधि के रूप में जमा करा दिया जाए। इस प्रक्रिया को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए भांडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2007 में संशोधन करना अपेक्षित है। अधिनियम में संशोधन तुरंत किए जाने तथा तदनुसार राशि भारत की समेकित निधि में जमा कराने की आवश्यकता है।

2. प्राधिकरण ने अपने वार्षिक लेखों में कुछ नए लेखा शीर्ष/उपशीर्ष खोले हैं जिन्हें लेखों पर टिप्पणियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

घ. अनुदान सहायता

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 12.80 करोड़ रू की (मार्च, 2020 में 1.00 करोड़ के अनुदान सहित) अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 7.43 करोड़ रू (अनुदान 0.52 करोड़ रू + शुल्क एवं अंशदान – 6.91 करोड़ रू) तथा आंतरिक प्राप्तियों के 1.47 करोड़ रू का अथ/शेष था। इसमें केवल 12.21 करोड़ रू (राजस्व 11.39 + पूंजी 0.82 करोड़) का उपयोग किया तथा 9.49 करोड़ शुल्क तथा अंशदान के रूप में प्राप्त 8.18 करोड़ तथा 1.31 करोड़ रू सरकारी अनुदान) शेष रह गया ।

V. पूर्व के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

VI. हमारे मत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित किए जाने पर तथा ऊपर दिये गए मामलों एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों में भारत में सामान्य रूप में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सही तथा स्पष्ट तस्वीर मिलती है:–

(क) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च, 2020 को भण्डागारण विकास एवंविनियामक प्राधिकरण के मामले मे ; और

(ख) जहाँ तक इसका उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अतिशेष

के मामले में।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान निदेशक–लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक: 02.12.2020

अनुलग्नक–1

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई तथा केवल एक पैरा बकाया था।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण आंतरिक प्रणाली पर्याप्त नही है, चूंकि डब्लू.डी.आर.ए में अध्यक्ष का पद 17 जनवरी, 2018 से रिक्त है।

3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

31 मार्च, 2020तक वस्तु सूची तथा सम्पत्ति अर्थात् फर्नीचर एवं फिक्सर तथा कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री का सत्यापन किया गया।

4. वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची जैसे पुस्तकें, प्रकाशनण लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

31 मार्च 2020 को 6 महीने से अधिक कोई सांविधिक भुगतान बकाया नहीं था ।

A Prasad

वरिष्ठ लेखा–परीक्षा अधिकारी

अनुलग्नक–III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट पर डब्लू डी आर ए के उत्तर/ टिप्पणियाँ

टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों की उत्तर
क तुलन पत्र देयताएँ चालू देयताएँ तथा प्रावधान (अनूसूची–7) : 10.26 करोड़ रू	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 1.31 करोड़ रूपए की राशिमंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी तथापि प्राधिकरण ने न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।	प्राधिकरण का खाता प्रोद्भवन आधारित है। उपयोग न की गई राशि के संबंध में मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्र सं. जी–20011/1/2018–ए एवं एफ/379 दिनाँक 5 मई, 2020 द्वारा सूचित किया गया था। अनुपभुक्त राशि रू. 1.31 करोड़ (दिनाँक 23.3.2020 को प्राप्त रू.1.00 करोड़ सहित) वर्ष 2019–20 में पूर्ण किए गए कार्यों/कार्यकलापों के लिए प्रतिबद्ध थे। इसे वर्ष 2020–21 की अवधि में व्यय किया गया। अतएव, इसे प्राधिकरण के चालू दायित्व के रूप में नहीं माना गया। इसकी गत वर्ष में पूर्ण किए गए कार्यों/कार्यकलापों के लिए आवश्यकता थी। अतः इसे बनाए रखना अपेक्षित था। अतः इसे चालू दायित्वों में कम एवं पूंजीगत निधि में अधिक नहीं दिखाया गया था। 1.31 करोड़ रू. को पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय किया गया है।
ख. आय एवं व्यय लेखा: आय आय–अनुदान एवं सब्सिडी 12.80 करोड़ रू (अनुसूची 13)	डबलू० डी० आर० ए० ने वर्ष 2019–2020 के दौरान 0.82 करोड़ रूपए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी। अधिप्राप्ति के लिए 0.82 करोड़ रुपय का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी/ संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।	सरकार द्वारा अधिसूचित भाण्डागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण के अनुसार वार्षिक विवरण लेखा एवं अभिलेख नियमावली, 2010 के अनुसार अनुसूची–13 अनुदान/सब्सिडी के संबंध में है। प्राधिकरण की लेखा नीति के अनुसार यह इस अनुसूची के तहत दर्शाया गया है। मंत्रालय से प्राप्त कुल अनुदान दो प्रमुखों शीर्ष अर्थात् वेतन और सामान्य शीर्ष के तहत है। यदि हम इस अनुसूची में प्राप्त अनुदानों से अचल परिसंपति की लागत को कम करते हैं, तो यह प्राधिकरण द्वारा अब

टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों की उत्तर
		तक अपनाई गई लेखा नीति के विरूद्ध होता। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियम के तहत अनुमोदित अनुसूची 13 के प्रारूप में पूंजीगत व्यय के एवज में व्यय की गई राशि को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेखा नीति के अनुसार केवल गैर–पूंजीगत व्यय को आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है और अचल परिसंपत्ति पर व्यय, व्यय से अधिक आय के अतिरिक्त/ घाटे का हिस्सा बन जाता है और इसे कॉरपस/पूंजीगत निधि में लिया जाता है। इस प्रकार, कॉर्पस/ पूंजीगत निधि को देनदारियों के तहत दर्शाया जाता है और अचल परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है। इस नीति का अब तक पालन किया जाता रहा है।
ग. सामान्य	प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 7.43 करोड़ रू की राशि है जिसे लेखा महानियंत्रक की सलाह के अनुसार प्रमुख शीर्ष '' 0.408–खाद्य भंडारण तथा भांडागारण के नीचे लघु शीर्ष'' 105–भांडागारण विकास तथा विनियमन प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत भारत समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। प्राधिकरण ने इस मामले को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ उठाया था और सुझाव दिया गया था कि शुल्क, आय एवं प्रभारों के रूप में अन्य सभी 'प्राप्तियों को मासिक आधार पर परिचालन आवश्यकताऐं पूरी	यह उल्लेख करना है कि पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क आदि सभी प्राप्तियां (अनुदान के अतिरिक्त) केनरा बैंक से ब्याज और प्रतिभूति जमा केनरा बैंक में जमा की जाती हैं। प्रतिभूति जमा राशि सरकार को देय नहीं है क्योंकि यह भांडागारपालों को वापसी योग्य है। दिनाँक 31.3.2020 तक सरकार को वापस की जा सकने वाली राशि रू.7.73 करोड़ मात्र है, जिसमें उपार्जित ब्याज रू. 0.45 करोड़ सम्मिलित है। इसे अनुयूची–7 वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में ''26000.01 बीबीबी–विविध देय'' शीर्ष के तहत दिखाया गया है। डब्लू.डी.आर.ए की प्राप्तियों शुल्क, आय, प्रभार आदि को सी.एफ.आई. में जमा करने का मामला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डी.एफ.एंण्ड.डी) द्वारा आर्थिक

टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों की उत्तर
	करने के पश्चात् भारत के सरकारी लेखा मे डब्लू.डी.आर.ए निधि के रूप में जमा करा दिया जाए। इस प्रक्रिया को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए भांडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2007 में संशोधन करना अपेक्षित है। अधिनियम में संशोधन तुरंत किए जाने तथा तदनुसार राशि भारत की समेंकित निधि में जमा कराने की आवश्यकता है।	मामले विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया है कि मासिक आधार पर परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद डब्लू. डी.आर.ए की उपरोक्त प्राप्तियों को भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा किया जाएगा। डब्लू.डी.आर.ए भारत के लोक खाते में डब्लू. डी.आर.ए निधि के गठन के लिए आर्थिक कार्य विभाग की प्रस्तावित लेखा प्रक्रिया पर सहमत है और डब्लू.डी.आर.ए आत्मनिर्भर होने तक अपनी सभी प्राप्तियों को भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा करने को प्रस्तावित करता है।
	2. प्राधिकरण ने अपने वार्षिक लेखों में कुछ नए लेखा शीर्ष/उपशीर्ष खोले हैं जिन्हें लेखों पर टिप्पणियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।	डब्लू.डी.आर.2. प्राधिकरण ने अपने वार्षिक लेखों में कुछ नए लेखा शीर्ष/उपशीर्ष खोले हैं जिन्हें ए द्वारा भारतीय संचित निधि (सी.एफ.आई) में दंड और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त सभी राशि जमा करने पर भी सहमति बनी है। हलांकि, इसके संचालन के लिए डब्लू.(डी एण्ड आर) अधिनियम, 2007 में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में (डब्लू डी एण्ड आर) अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तब तक डब्लू.डी.आर.ए द्वारा रखे गए अलग–अलग बैंक खाते में दंड और जुर्माना जमा किया जाएगा और डब्लू (डी एण्ड आर) अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना के बाद सी.एफ.आई. को स्थानांतरित किया जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का जवाब प्रतीक्षित है।

टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों की उत्तर
		अनुसूची 25 में पैरा (2) के तहत खातों पर टिप्पणियाँ करने के बारे में विस्तार से बताया/खुलासा किया गया है। डब्लू.डी.आर.ए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सलाह को क्रियान्वित करेगा और सरकार के साथ बनाए गए प्रस्तावित लोक खाते में, प्रतिभूति जमा/इ. एम.डी. को छोड़कर प्राप्तियों की सम्पूर्ण राशि हस्तांतरित करेगा। संज्ञान में लिया गया। भविष्य में खातों की टिप्पणियों में इसका खुलासा किया जाएगा।
घ. अनुदान सहायता	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 12.80 करोड़ रू की (मार्च, 2020 में 1.00 करोड़ के अनुदान सहित) अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 7.43 करोड़ रू (अनुदान 0.52 करोड़ रू + शुल्क एवं अंशदान – 6.91 करोड़ रू) तथा आंतरिक प्राप्तियों के 1.47 करोड़ रू का अवशेष था। इसमें केवल 12.21 करोड़ रू (राजस्व 11.39 + पूंजी 0.82 करोड़) का उपयोग किया तथा 9.49 करोड़ शुल्क तथा अंशदान के रूप में प्राप्त 8.18 करोड़ तथा 1.31 करोड़ रू सरकारी अनुदान) शेष रह गया ।	गत वर्ष 2018–19 के दौरान प्राधिकरण के पास अनुदान तथा उस पर ब्याज की व्यय न हुई 0.52 करोड़ रू. की राशि ओ.बी.सी बैंक में थी। प्राधिकरण की प्राप्तियों की 6.92 करोड़ रू की राशि 2018–19 तक केनरा बैंक जमा की गई जिसे 'व्यय न हुई राशि' न माना जाए। ये राशियाँ प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त हुई है। सी.जी.ए ने सलाह दी है कि यह राशि सी.एफ.आई में जमा कराई जाए। प्राधिकरण ने इसके लिए अनुरोध किया था कि इसे व्यय किए जाने के लिए प्राधिकरण के पास रहने दिया जाए जैसा कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में प्रावधान किया गया है। इन प्राप्तियों को सरकारी खाते/सी.एफ. आई जमा करने हेतु सरकार को दिए जाने के लिए देयता के रूप में दिखाया गया है। अतः गत वर्ष (2018–19) के लिए वास्तविक रूप में व्यय न हुई राशि का शेष केवल 0.52 करोड़ रू है (7.43 करोड़ रूपए नहीं जैसा कि टिप्पणी में दिखाया गया है) वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान सहायता की कुल 12.80 करोड़ रू ओ.बी.सी. बैंक में थी। वर्ष के दौरान ब्याज/अन्य प्राप्तियाँ 0. 06 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 की 0.52 करोड रू अग्रेनीत राशि जोड़ने पर

टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों की उत्तर
		प्राधिकरण के पास कुल राशि 13.38 करोड़ रू बनती है। वर्ष 2019–20 में कुल व्यय 12.07 करोड़ रू था। अतः 31.3.2020 को व्यय न हुई शेष राशि 1.31 करोड़ रू केवल है जिसे ओ.बी.सी बैंक में रखा गया है (यह राशि 9.49 करोड़ रू नहीं है जैसा कि टिप्पणी में दिखया गया है) 31.3.2020 को केनरा बैंक में कुल राशि 8.18 करोड़ रू थी। पंजीकरण शुल्क नवीकरण शुल्क इत्यादि से (6.00 करोड़ रू) तथा इस प्रकार की प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज (0.98 करोड़ + 0.45 करोड़ उपार्जित ब्याज) 31.3.2020 को 7.43 करोड़ रू केवल है (न कि 9.49 करोड़ रू जैसा कि टिप्पणी में दिखाया गया है)। यह राशि सरकार को दी जानी है है तथा लेखों की अनुसूची 7 में ''विविध भुगतान योग्य' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई है।

अनुलग्नक में दिए गए अवलोकन पर उत्तर/टिप्पणियाँ		
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई तथा केवल एक पैरा बकाया था।	यह तथ्यात्मक है।
2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	प्राधिकरण आंतरिक प्रणाली पर्याप्त नही है, चूंकि डब्लू.डी.आर.ए में अध्यक्ष का पद 17 जनवरी, 2018 से रिक्त है।	प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है
3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली	31 मार्च, 2020 तक वस्तु सूची तथा सम्पत्ति अर्थात् फर्नीचर एवं फिक्सर तथा कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री का सत्यापन किया गया।	यह तथ्यात्मक है।
4. वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वस्तु सूची जैसे पुस्तकें, प्रकाशन लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का सत्यापन किया गया।	यह तथ्यात्मक है।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता	31 मार्च 2020 को 6 महीने से अधिक कोई सांविधिक भुगतान बकाया नहीं था ।	यह तथ्यात्मक है।

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

चौथी मंजिल, एन.सीयू.आई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016
फोन नं०. : 011–49536496, फैक्स नं०. : 011–26515503
वेबसाइट : www.wdra.gov.in

Designed & Printed by : Chanakya Graphics 9891676478, Tel. : 23531317